बिहार सरकार

सुलभ संगणक
(Ready Reckoner)

प्रशाखा–22

(अनुकंपा संविदा नियोजन एवं दैनिक पारिश्रमिक)

सामान्य प्रशासन विभाग
मुख्य सचिवालय, बिहार, पटना–15

जनवरी–2023

बिहार सरकार

आमिर सुबहानी,
मुख्य सचिव,
बिहार

प्राक्कथन

यह जानकर मुझे अपार हर्ष हो रहा है कि सामान्य प्रशासन विभाग के विभिन्न प्रशाखाओं द्वारा निष्पादित किये जाने वाले कार्यो के सुगम संचालन एवं उनमें पारदर्शिता लाने के लिए सुलभ संगणक (Ready Reckoner) तैयार किया जा रहा है।

इसमें सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत कार्यरत 28 प्रशाखाओं द्वारा किये जा रहे कार्यो को बहुत ही सरल रूप से समेकित किया गया एवं किये जाने वाले कार्यो की पूरी सूचना अंकित की गयी है। इससे न सिर्फ विभाग के कार्यो में पारदर्शिता आयेगी बल्कि इसे समय-सीमा के अन्दर गुणवत्ता के साथ पूर्ण भी किया जाएगा।

पदाधिकारियों के स्थानांतरण एवं पदस्थापन के पश्चात् नये पदाधिकारियों के लिए यह सुलभ संगणक उपयोगी साबित होगा।

इसे तैयार एवं संकलित करने में सामान्य प्रशासन विभाग के संबंधित पदाधिकारियों/कर्मियों का योगदान सराहनीय है।

(आमिर सुबहानी) ५.१.२३
मुख्य सचिव,
बिहार,

बिहार सरकार

डॉ बी० राजेन्दर,
प्रधान सचिव,
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रस्तावना

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सरकार के महत्वपूर्ण सेवाओं के लिए सेवा शर्तो का निर्धारण, भारतीय एवं राज्य प्रशासनिक सेवाओं के साथ-साथ सचिवालय स्तर के विभिन्न सेवाओं, उनके सेवा शर्तो, प्रोन्नति, सेवा विनियमन, सेवा सम्पुष्टि, सेवान्त लाभ, ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी०, आरोपों का निष्पादन एवं दंड निर्धारण आदि का कार्य प्रमुख रूप से किया जाता है।

इन कार्यो को समयबद्ध एवं पूर्ण पारदर्शिता के साथ करने हेतु इन्हें सुलभ संगणक के रूप में समेकित करने के लिए प्रशाखावार सुलभ संगणक तैयार किया गया है। सुलभ संगणक में प्रशाखा अंतर्गत किये जाने वाले कार्यो, प्रशाखा के उद्देश्य एवं दायित्व, संरचनात्मक विवरणी, पदाधिकारियों एवं कर्मियों के संबंध में सूचना, प्रशाखा द्वारा निष्पादित कार्यो, उपलब्धियों, कार्य योजना, सहायकवार क्रियाशील एवं अक्रियाशील संचिकाओं की सूची, लॉगबुक की समीक्षा, न्यायालयों संबंधी मामले को निर्धारित समय पर करना, पटल एवं प्रशाखा निरीक्षण आदि विविध बिन्दुओं को सूचीबद्ध किया गया।

प्रशाखावार सुलभ संगणक बनने से न सिर्फ पदाधिकारियों को यह ज्ञात होगा कि उनके प्रभार में कौन-से मामले लंबित हैं, बल्कि संबंधित कार्य से संबंद्ध सहायकों के लिए भी यह काफी उपयोगी साबित होगा। इसके अलावा सुलभ संगणक विभागीय कार्य की पृष्ठभूमि, लक्ष्य, उद्देश्य आदि के संबंध में काफी उपयोगी हो जाएगा। प्रशाखावार प्राथमिकताओं के निर्धारण में भी यह उपयोगी साबित होगा तथा लंबित मामलों के निष्पादन एवं कार्य में गति आयेगी।

इस सुलभ संगणक को समय-समय पर अद्यतन भी किया जाएगा तथा यह विभाग के लिए एक स्थायी मार्गदर्शिका के रूप में कार्य करेगा एवं यह नये पदस्थापित पदाधिकारियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण जानकारी का स्त्रोत होगा तथा विभाग में पूर्व से चले आ रहे कार्यो को आगे बढ़ाने में, लंबित मामलों की जानकारी प्राप्त करने एवं कार्य-संस्कृति में सुधार लाने में सहायक होगा।

इसे निर्धारित समयसीमा के अंदर पूरी निष्ठा से संकलित करने में संलग्न विभाग के सभी पदाधिकारी/कर्मचारी बधाई के पात्र हैं।

Rajender 4.1.2023

(डॉ० बी० राजेन्दर)
प्रधान सचिव,
सामान्य प्रशासन विभाग,
बिहार, पटना

बिहार सरकार

श्री रजनीश कुमार, (बि०प्र०से०)
उप सचिव,
सामान्य प्रशासन विभाग

परिचय

भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य की अवधारणा एक कल्याणकारी राज्य की है। इस अवधारणा के अंतर्गत राज्य का दायित्व है कि वह अपने नागरिकों को भूख से बचाने के लिए कल्याणकारी उपाय करे। कल्याणकारी राज्य की इसी अवधारणा के अध्याधीन राज्य की सेवा में कार्यरत कर्मियों के सेवाकाल में अकाल मृत्युकी स्थिति में उसके आश्रितों को भूख एवं अन्य आर्थिक कठिनाईयों से संरक्षण प्रदान करने हेतु अनुकंपात्मक नियुक्ति का प्रावधान किया गया है।

राज्य में उपर्युक्त कल्याणकारी योजना के तहत राज्य कर्मियों की सेवाकाल में मृत्यु के पश्चात् उसके एक योग्य आश्रित को उसकी योग्यता के अनुसार वेतन स्तर 1, 2 या 3 में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त करने का प्रावधान परिपत्र सं0–13293 दिनांक–05.10.1991 के अंतर्गत किया गया है, जो कतिपय संशोधनों के साथ वर्त्तमान में भी प्रभावी है।

इसी प्रकार विगत वर्षों में शासन में राज्य की भूमिका के विस्तारीकरण के बाद कर्मियों की बड़ी संख्या में नये पदों के सृजन के साथ बड़ी संख्या में रिक्तियों से पैदा हो रही प्रशासनिक कठिनाईयों के निराकरण के लिएसम्यक् विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विभागों एवं क्षेत्रोय कार्यालयों में सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों की सेवा संविदा पर लिए जाने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र सं0–10000 दिनांक–10.07.2015 में प्रावधान किया गया है। उक्त परिपत्र में निहित प्रक्रिया के अनुसार सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों को संविदा पर नियोजित करने की कार्रवाई की जाती है।

उपर्युक्त कार्यों के समयबद्ध निष्पादन हेतु विभाग द्वारा तैयार किये जा रहे सुलभ संगणक (**Ready Reckoner**) से लंबित कार्यों के निष्पादन में काफी सहायता मिलेगी एवं विभाग के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति में गति आयेगी। साथ हीं प्राथमिकताओं के निर्धारण में यह काफी उपयोगी सिद्ध होगा, जिसे समय–समय पर निरन्तर अद्यतन किया जायेगा यह पूर्व से वर्त्तमान तक किये जा रहे कार्यों का आईना साबित होगा।

04/01/2023

(रजनीश कुमार)
उप सचिव,
सामान्य प्रशासन विभाग,
बिहार, पटना

विषय सूची

क्र0सं0	विषय	पृष्ठ सं0
1.	संरचनात्मक एवं संस्थागत विवरण	2
2.	पदाधिकारी एवं कर्मियों की विवरणी	3
3.	संचिकाओं की अनुक्रमणिका	4
4.	प्रशाखा को आवंटित कार्य	5
5.	प्रशाखा की कार्य निष्पादन अवधि	6
6.	प्रशाखा का उद्देश्य एवं दायित्व	7
7.	प्रशाखा अंतर्गत कार्य निष्पादन नियमावली/संकल्प/अधिसूचना	8
8.	प्रशाखा में सहायकों के बीच कार्य आवंटन	9
9.	प्रशाखा में सहायकवार क्रियाशील/अक्रियाशील संचिकाओं की संख्या	10
10	प्रशाखा की उपलब्धियाँ	11
11.	प्रशाखा के अनुकम्पा एवं संविदा से संबंधित जाँच-पत्र	12
12.	शाखा की प्राथमिकताएँ	16
13.	शाखा की आगामी कार्य योजना	17
14.	प्रशाखा के कार्य निष्पादन हेतु महत्वपूर्ण परिपत्र/आदेश/संकल्प की सूची	18
15.	प्रधान सचिव कोषांग द्वारा निर्गत ज्ञापांक-75 दिनांक-24/11/2022	55

संरचनात्मक एवं संस्थागत विवरण

श्री नीतीश कुमार
माननीय मुख्य (सामान्य प्रशासन) मंत्री

श्री आमिर सुबहानी (भा0प्र0से0)
मुख्य सचिव

डॉ0 बी0 राजेन्दर (भा0प्र0से0)
प्रधान सचिव

श्री रजनीश कुमार (बि0प्र0से0)
उप सचिव

श्री सतीश कुमार तिवारी (बि0स0से0)
अवर सचिव

श्री प्रभात कुमार (बि0स0से0)
प्रशाखा पदाधिकारी

श्रीमती मंजु कुमारी (बि0स0से)
सहायक

श्री दिनेश कुमार (बि0स0से)
सहायक

पदाधिकारी एवं कर्मियों का विवरण।

क्र0 सं0	नाम / पदनाम	कार्यस्थल	आवासीय पता	मो0 नं0 एवं ई–मेल	फोटो
1.	डॉ0 बी0 राजेन्दर, प्रधान सचिव	कमरा संख्या–256 (प्रथम तल)	A3/19, बेली रोड, पटना।	मो0–9473191450 Email:- secy-par-bih@nic.in	
	श्री रजनीश कुमार, उप सचिव	कमरा संख्या–267 (प्रथम तल)	श्रीराम कुंज अपार्टमेंट, IAS कॉलोनी, रूपसपुर, बेली रोड, पटना।	मो0–6202556173 rajnish.kum1972@gmail.com	
2.	श्री सतीश कुमार तिवारी, अवर सचिव	कमरा संख्या–265 (प्रथम तल)	फ्लैट नं0–301/C, आशियाना ग्रीन सिटी, सगुना मोड़, पटना।	मो0–9431080703 Email:- satishtiwary@gmail.com	
3.	श्री प्रभात कुमार, प्रशाखा पदाधिकारी	कमरा संख्या–265 (प्रथम तल)	टॉवर वाला मकान, बोर्ड फैक्ट्री, इन्डस्ट्रीयल एरीया, पाटलीपुत्र, पटना।	मो0–9431175165 aryanbraby@gmail.com	
4.	श्रीमती मंजु कुमारी, सहायक	कमरा संख्या–265 (प्रथम तल)	साकेत बिहार, आम्बेडकर पथ, जगदेव पथ, पटना।	मो0–9470658035	
5.	श्री दिनेश कुमार, सहायक	कमरा संख्या–265 (प्रथम तल)	काजीपुर, मछुआटोली, पटना।	मो0–9471957166 dk457351@Gmail.Com	
6.	श्रीमती संजु राय, कम्प्यूटर ऑपरेटर (बाह्य स्रोत–बेल्ट्रॉन)	कमरा संख्या–265 (प्रथम तल)	पुनम गैस गोदाम, आम्बेडकर पथ, जगदेव पथ, पटना।	मो0–9470726887	
7.	श्री नरेन्द्र कुमार, कम्प्यूटर ऑपरेटर (बाह्य स्रोत–बेल्ट्रॉन)	कमरा संख्या–265 (प्रथम तल)	मो0–भिखाचक, पो0–अनीसाबाद वार्ड नं0–13 पटना।	मो0–9608996006 narenk6006@gmail.com	
8.	श्री मुकेश कुमार, कार्यालय परिचारी	कमरा संख्या–265 (प्रथम तल)	ग्राम– मोरयावाँ पो0–साईं, मसौढ़ी, पटना।	मो0–8521615894	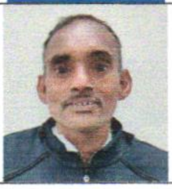

संचिकाओं की अनुक्रमणिका

क्र0 सं0	संचिका सं0	विषय
1	22 / अनु0................ / 2022	अनुकम्पा से संबंधित मामले
2	22 / सी0................ / 2022	कोर्ट केस से संबंधित मामले
3	22 / लो0सू0................ / 2022	लोक सूचना से संबंधित मामले
4	22 / ज0शि0................ / 2022	जन शिकायत से संबंधित मामले
5	22 / क्यू0................ / 2022	विधान सभा / विधान परिषद प्रश्न से संबंधित मामले
6	22 / दै0वे0................ / 2022	दैनिक वेतन भोगी से संबंधित मामले
7	22 / वि0प्रो0स0........... / 2022	विभागीय प्रोन्नति समिति से संबंधित मामले
8	22 / क0सं0................ / 2022	कर्मचारी संघ से संबंधित मामले
9	22 / एम0.................... / 2022	अन्तर्विभागीय / अन्तर्शाखा पत्राचार से संबंधित मामले
10	22 / सं0नि0............... / 2022	संविदा नियोजन से संबंधित मामले

प्रशाखा–22 को आवंटित कार्य

(i) सेवानिवृत्त सरकारी सेवक की संविदा के आधार पर नियोजन हेतु गठित विभाग स्तरीय चयन समिति के समक्ष मामलों का उपस्थापन एवं बैठक से संबंधित कार्य।

(ii) विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन एवं सामान्य प्रशासन विभाग के प्रतिनिधि का मनोनयन।

(iii) सेवानिवृत्त सरकारी सेवक की संविदा के आधार पर नियोजन हेतु गठित राज्य स्तरीय चयन समिति के समक्ष मामलों का उपस्थापन एवं बैठक से संबंधित कार्य।

(iv) अनुकम्पा से संबंधित संचिका के माध्यम से आगत परामर्श, Court Case, लोकायुक्त मामले, जन शिकायत एवं सूचना का अधिकार।

(v) कर्मचारी कल्याण/सेवा संघों से संबंधित मामले।

(vi) संविदा नियोजन से संबंधित न्यायिक/विधान मंडलीय संबंधी पंजियों का संधारण तथा मॉनिटरिंग एवं प्रतिवेदन से संबंधित कार्य।

(vii) दैनिक वेतनभोगी एवं संविदा नियोजन से संबंधित Court Case, लोकायुक्त, लोक सूचना, जन शिकायत, सूचना का अधिकार सहित अन्य पत्राचार।

(viii) अनुकम्पात्मक नियुक्ति से संबंधित समाहरणालयों से प्राप्त मार्गदर्शन संबंधी पत्रों का निष्पादन।

(ix) सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों से केन्द्रीय अनुकम्पा समिति के समक्ष मामलों का उपस्थापन एवं बैठक से संबंधित कार्य।

(x) पटल से संबंधित न्यायायिक/विधान मंडलीय संबंधी पंजियों का संधारण तथा मॉनिटरिंग एवं प्रतिवेदन से संबंधित कार्य।

प्रशाखा-22 की कार्य निष्पादन अवधि

क्र0 सं0	विषय	प्रासंगिक परिपत्र/संकल्प	निर्धारित समय	सक्षम प्राधिकार
1	अनुकम्पा से संबंधित परामर्श	सामान्य प्रशासन विभाग का परिपत्र सं0–13293 दिनांक–05.10.1991 एवं परिपत्र सं0–15783 दिनांक–19.11.2014 सक्षम प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत परामर्श उपलब्ध कराना।	15 कार्यदिवस	प्रधान सचिव
2	अनुकम्पा नियुक्ति के प्रस्ताव	सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र सं0–2822 दिनांक–27.04.1995 एवं परिपत्र सं0–11462 दिनांक–24.08.2016	15 कार्यदिवस	केन्द्रीय अनुकम्पा समिति
2	कोर्ट केस से संबंधित मामले	विधि विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक–6400 दिनांक–27.10.2016, ज्ञापांक–498 दिनांक–25.01.2017 एवं सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र संख्या 9764 दिनांक 22.07.2019	07 कार्यदिवस	प्रधान सचिव
		प्रशाखा द्वारा तथ्य विवरणी तैयार करने वाले मामलों में	07 कार्यदिवस	प्रधान सचिव
3	लोक सूचना से संबंधित मामले	सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के आलोक में सूचनावेदकों को वांछितसूचना/कागजात तैयार करना।	07 कार्यदिवस	अवर सचिव–सह–लोक सूचना पदाधिकारी
4	जन शिकायत से संबंधित मामले	प्राप्त आवेदन पत्रों पर आवश्यक कार्रवाई किया जाना।	05 कार्यदिवस	उप सचिव तथा आवश्यकता अनुसार प्रधान सचिव
5	विधान सभा/विधान परिषद प्रश्न से संबंधित मामले	माननीय स0वि0स0 के द्वारा विधान सभा में पूछे गए विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का उत्तर तैयार करना।	04 कार्यदिवस	माननीय प्रभारी मंत्री
6	दैनिक वेतन भोगी से संबंधित मामले	विधि विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक–6400 दिनांक–27.10.2016, ज्ञापांक–498 दिनांक–25.01.2017 एवं सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र संख्या 9764 दिनांक 22.07.2019	07 कार्यदिवस	प्रधान सचिव
7	विभागीय प्रोन्नति समिति से संबंधित मामले	विभागीय प्रोन्नति समिति के गठन में सामान्य प्रशासन विभाग के प्रतिनिधि का मनोनयन।	07 कार्यदिवस	प्रधान सचिव
8	कर्मचारी संघ से संबंधित मामले	संबंधित विभाग को अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु प्रतिवेदन देना।	07 कार्यदिवस	उप सचिव
9	संविदा नियोजन से संबंधित मामले	सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र सं0–10000 दिनांक–10.07.2015, परिपत्र सं0–3815 दिनांक–11.03.2016 एवं परिपत्र सं0–9893 दिनांक–02.08.2017	15 कार्यदिवस	प्रधान सचिव

प्रशाखा–22 का उद्देश्य/दायित्व

(i) सेवानिवृत्त सरकारी सेवक की संविदा के आधार पर नियोजन हेतु गठित विभाग स्तरीय चयन समिति के समक्ष मामलों का उपस्थापन एवं बैठक से संबंधित कार्य।

(ii) विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन एवं सामान्य प्रशासन विभाग के प्रतिनिधि का मनोनयन।

(iii) सेवानिवृत्त सरकारी सेवक की संविदा के आधार पर नियोजन हेतु गठित राज्य स्तरीय चयन समिति के समक्ष मामलों का उपस्थापन एवं बैठक से संबंधित कार्य।

(iv) अनुकम्पा से संबंधित संचिका के माध्यम से आगत परामर्श, Court Case, लोकायुक्त मामले, जन शिकायत एवं सूचना का अधिकार।

(v) कर्मचारी कल्याण/सेवा संघों से संबंधित मामले।

(vi) संविदा नियोजन से संबंधित न्यायिक/विधान मंडलीय संबंधी पंजियों का संधारण तथा मॉनिटरिंग एवं प्रतिवेदन से संबंधित कार्य।

(vii) दैनिक वेतनभोगी एवं संविदा नियोजन से संबंधित Court Case, लोकायुक्त, लोक सूचना, जन शिकायत, सूचना का अधिकार सहित अन्य पत्राचार।

(viii) अनुकम्पात्मक नियुक्ति से संबंधित समाहरणालयों से प्राप्त मार्गदर्शन संबंधी पत्रों का निष्पादन।

(ix) सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों से केन्द्रीय अनुकम्पा समिति के समक्ष मामलों का उपस्थापन एवं बैठक से संबंधित कार्य।

(x) पटल से संबंधित न्यायायिक/विधान मंडलीय संबंधी पंजियों का संधारण तथा मॉनिटरिंग एवं प्रतिवेदन से संबंधित कार्य।

प्रशाखा अंतर्गत कार्य निष्पादन नियमावली/संकल्प/ अधिसूचना

संविदा नियोजन

➢ बिहार सरकार के सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों की संविदा के आधार पर नियोजन के संबंध में (परिपत्र सं0–10000 दिनांक–10.07.2015)।

➢ बिहार सरकार के सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों की संविदा के आधार पर नियोजन के संबंध में (परिपत्र सं0–3815 दिनांक–11.03.2016)।

➢ बिहार सरकार के सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों की संविदा के आधार पर नियोजन के संबंध में (परिपत्र सं0–9893 दिनांक–02.08.2017)।

अनुकम्पा नियुक्ति

➢ सेवाकाल में मृत सरकारी सेवक के आश्रित को वर्ग–03 एवं 04 के पदों पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया (परिपत्र सं0–13293 दिनांक–05.10.1991)।

➢ बिहार सरकार के सरकारी सेवकों के सेवाकाल में मृत्योपरांत उनके आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु गठित केन्द्रीय अनुकम्पा समिति (परिपत्र सं0–2822 दिनांक–27.04.1995)।

➢ बिहार सरकार के सरकारी सेवकों के सेवाकाल में मृत्योपरांत उनके आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु gainful नियोजन सेसंबंधित है (परिपत्र सं0–15783 दिनांक–19.11.2014)।

➢ बिहार सरकार के सरकारी सेवकों के सेवाकाल में मृत्योपरांत उनके आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु सूचीबद्ध किया गया है (परिपत्र सं0–14157 दिनांक– 09.11.2017)।

➢ अनुकम्पा नियुक्ति मामले में नाबालिगआश्रितद्वारा नियुक्ति हेतु आवेदन पद समर्पित करने की समय–सीमा में वृद्धि के संबंध में (परिपत्र सं0–11959 दिनांक–30.08.2019)।

➢ लापता सरकारी सेवकों के आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु अनुमान्यता के संबंध में (परिपत्र सं0–5014 दिनांक–16.04.2021)।

➢ मृत सरकारी सेवक के पति/पत्नी मे से किसी एक के पेंशनर होने की स्थिति में उनके आश्रित को अनुकम्पा नियुक्ति के लाभ की देयता के संबंध में (परिपत्र सं0–13573 दिनांक–18.11.2021)।

प्रशाखा-22 में सहायकों को आवंटित कार्य

क्र0 सं0	सहायक का नाम	आवंटित कार्य
1.	श्रीमती मंजु कुमारी	(i) संकल्प सं0–10000 दिनांक–10.07.2015 के तहत सेवानिवृत्त सरकारी सेवक की संविदा के आधार पर नियोजन हेतु गठित राज्य स्तरीय चयन समिति के समक्ष मामलों का उपस्थापन एवं बैठक से संबंधित कार्य। (ii) संकल्प सं0–10000 दिनांक–10.07.2015 के तहत सेवानिवृत्त सरकारी सेवक की संविदा के आधार पर नियोजन हेतु गठित विभाग स्तरीय चयन समिति के समक्ष मामलों का उपस्थापन एवं बैठक से संबंधित कार्य। (iii) विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन एवं सामान्य प्रशासन विभाग के प्रतिनिधि का मनोनयन। (iv) कर्मचारी कल्याण/सेवा संघों से संबंधित मामले। (v) संविदा एवं अनुकम्पा नियोजन हेतु आवेदकों द्वारा समर्पित अभ्यावेदन पर कार्रवाई। (vi) प्रशाखा पदाधिकारी द्वारा समय–समय पर सौंपे जाने वाले अन्य कार्य।
2.	श्री दिनेश कुमार	(i) सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों से प्राप्त अनुकम्पा नियुक्ति संबंधी प्रस्तावों का केन्द्रीय अनुकम्पा समिति के समक्ष उपस्थापन एवं बैठक से संबंधित कार्य। (ii) संचिका एवं पत्रों के माध्यम से प्राप्त अनुकम्पा से संबंधित परामर्श के मामलों में परामर्श का गठन। (iii) अनुकम्पा नियुक्ति से संबंधित न्यायिक/लोकायुक्त मामले, जन शिकायत एवं सूचना का अधिकार। (iv) संविदा नियोजन एवं अनुकम्पा से संबंधित विधान मंडलीय संबंधी पंजियों का संधारण तथा मॉनिटरिंग एवं प्रतिवेदन से संबंधित कार्य। (v) दैनिक वेतनभोगी से संबंधित न्यायिक/लोकायुक्त मामले, जन शिकायत, सहित अन्य पत्राचार। (vi) संविदा से संबंधित न्यायिक/लोकायुक्त मामले, जन शिकायत, सूचना का अधिकार एवं लोक सूचना। (vii) प्रशाखा पदाधिकारी द्वारा समय–समय पर सौंपे जाने वाले अन्य कार्य।

सामान्य प्रशासन विभाग में पदस्थापित सहायकों के प्रभार के क्रियाशील / अक्रियाशील संचिकाओं की सूची :–

क्र0	प्रशाखा / कोषांग	नाम	क्रियाशील	अक्रियाशील	कुल
01	प्रशाखा– 22	श्रीमती मंजु कुमारी	46	295	341
02		श्री दिनेश कुमार	146	1125	1271
		कुल –	**192**	**1420**	**1612**

उपलब्धियाँ

विभाग स्तरीय चयन समिति

क्रम सं0	बैठक की तिथि	कार्यवाही का ज्ञापांक/दिनांक	अनुशंसित कार्मिकों की कुल संख्या	अभ्युक्ति
1	29.04.2022	6539 / 29.04.2022	53	
2	10.06.2022	9478 / 10.06.2022	17	
3	24.06.2022	10412 / 24.06.2022	01	
4	29.06.2022	10731 / 29.06.2022	14	
5	28.07.2022	13010 / 29.07.2022	11	
6	22.08.2022	14580 / 22.08.2022	12	
7	20.09.2022	17154 / 20.09.2022	12	
8	18.10.2022	18775 / 19.10.2022	16	
9	18.10.2022	18775 / 19.10.2022	02	
10	14.11.2022	20166 / 15.11.2022	09	
11	19.12.2022	22936 / 20.12.2022	80	
		कुल	227	

राज्य स्तरीय चयन समिति

क्रम सं0	बैठक की तिथि	कार्यवाही का ज्ञापांक/दिनांक	अनुशंसित कार्मिकों की कुल संख्या	अभ्युक्ति
1	07.11.2022	19728 / 07.11.2022	12	
2	30.08.2022	15292 / 30.08.2022	08	
3	27.12.2022	23463 / 27.12.2022	13	
		कुल	33	

केन्द्रीय अनुकम्पा समिति

क्रम सं0	बैठक की तिथि	कार्यवाही का ज्ञापांक/दिनांक	अनुशंसित कार्मिकों की कुल संख्या	अभ्युक्ति
1	20.05.2022	7607 / 20.05.2022	07	
2	10.06.2022	9477 / 10.06.2022	05	
3	30.06.2022	10846 / 30.06.2022	02	
4	28.07.2022	13011 / 29.07.2022	02	
5	05.09.2022	15871 / 06.09.2022	04	
6	20.09.2022	17169 / 21.09.2022	02	
7	18.10.2022	18769 / 19.10.2022	04	
8	14.11.2022	20165 / 15.11.2022	01	
9	19.12.2022	22929 / 20.12.2022	04	
		कुल	31	

अनुकम्पा नियुक्ति हेतु जाँच–पत्र (चेक–स्लिप)

.... **विभाग**

संचिका सं0–................................/2020

पृ0 ...../टि0 से ...., ..., बिहार, पटना की कार्यालय टिप्पणी और प्रस्ताव।

....के सेवाकाल में मृत्यु के पश्चात् उनके आश्रित **श्री** ....की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्राप्त प्रस्ताव का विवरण निम्नवत् है :

1. मृत सरकारी सेवक का नाम –	
2. पदनाम –	
3. कार्यालय/विभाग –	
4. मृत्यु की तिथि –	
5. अनुकम्पा हेतु आवेदन की तिथि –	
6. अनुकम्पा आवेदक मृत्यु तिथि के पाँच वर्ष के अन्दर समर्पित किया गया अथवा नहीं –	
7. अनुकम्पा नियुक्ति के आवेदक का नाम –	
8. मृतक सरकारी सेवक से संबंध –	
9. आवेदक आश्रित की श्रेणी में है या नहीं –	
10. आवेदक की जन्म तिथि –	
11. आवेदक बालिग है अथवा नहीं –	
(क) यदि हाँ तो आवेदन की तिथि को आवेदक की उम्र–	
(ख) यदि हाँ तो आवेदक के बालिग होने की तिथि (यदि लागू हो) –	
(ग) आवेदन बालिग होने के एक वर्ष के अन्दर प्रस्तुत किया गया अथवा नहीं –	
12. आवेदक की शैक्षणिक योग्यता (मैट्रिक/इन्टरमीडिएट)–	
13. अनुकम्पा नियुक्ति हेतु आवेदित पद (कार्यालय परिचारी–लेवल–1/लिपिक–लेवल–2) –	
14. अनुकम्पा नियुक्ति हेतु चेक स्लिप की स्थिति– (क) विहित प्रपत्र में विधिवत भरा हुआ – (ख) सक्षम प्राधिकार द्वारा हस्ताक्षरित –	
15. मूल मृत्यु प्रमाण–पत्र (सरकारी सेवक का) –	
16. मूल आवासीय प्रमाण–पत्र –	
17. मूल आय प्रमाण–पत्र –	
18. मूल जाति प्रमाण–पत्र –	
19. शैक्षणिक योग्यता संबंधी मूल प्रमाण–पत्र – (क) मैट्रिक(बिहार बोर्ड/आई0सी0एस0ई0/सी0बी0एस0ई0 संस्कृत शिक्षा बोर्ड/मदरसा शिक्षा बोर्ड/अन्य) (ख) इन्टरमीडिएट(बिहार बोर्ड/बि0 इन्टरमीडिएट काउंसिल/आई0सी0एस0ई0/सी0बी0एस0ई0/संस्कृत शि बोर्ड /मदरसा शिक्षा बोर्ड/अन्य)	

<table>
<tr><td>(ग) अन्य उच्चत्तर शैक्षणिक योग्यता</td><td></td></tr>
<tr><td>20. आवेदक का उम्र प्रमाणन हेतु प्रमाण–पत्र –</td><td></td></tr>
<tr><td>21. पारिवारिक सूची प्रमाण–पत्र –</td><td>
<table>
<tr><th>क्र0</th><th>सदस्य का नाम</th><th>उम्र</th><th>संबंध</th><th>विवाहित / अविवाहित</th></tr>
<tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>22. आश्रित की नियोजन संबंधी अनुशंसा के लिए प्रपत्र –
(क) विहित प्रपत्र में विधिवत भरा हुआ –
(ख) सक्षम प्राधिकार द्वारा हस्ताक्षरित –</td><td></td></tr>
<tr><td>23. आवेदन प्रपत्र खंड–1 कंडिका–05 की सूचना –</td><td>(पृ0 13 / प0)
<table>
<tr><th>क्र0</th><th>सदस्य का नाम</th><th>उम्र</th><th>संबंध</th><th>सेवारत है या नहीं</th></tr>
<tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>24. पारिवारिक सूची एवं आवेदन प्रपत्र खंड–1 कंडिका–05 की सूचना समरूप है अथवा नहीं –</td><td></td></tr>
<tr><td>25. पारिवारिक सूची में उल्लिखित सदस्यों में कोई सरकारी अथवा गैर–सरकारी नियोजन में है अथवा नहीं –</td><td></td></tr>
<tr><td>26. मूल अनियोजन प्रमाण–पत्र –</td><td></td></tr>
<tr><td>27. अनुकम्पा आवेदक के पक्ष में आश्रितों का अनापत्ति प्रमाण–पत्र –</td><td>
<table>
<tr><th>क्र0</th><th>सदस्य का नाम</th><th>अनापत्ति प्रमाण–पत्र का पृष्ठ सं0</th></tr>
<tr><td>1</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>4</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>5</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>28. अनुकम्पा आवेदक का स्व–घोषणा शपथ–पत्र –</td><td></td></tr>
<tr><td>29. अनुकम्पा आवेदक का आचरण प्रमाण–पत्र –</td><td></td></tr>
</table>

अनुसूचीः–01

भविष्य में सेवानिवृत्त होनेवाले सरकारी सेवकों के संविदा के आधार पर नियोजन हेतु चयन का प्रस्ताव चयन समितियों को भेजने हेतु जाँच-पत्र।

1	विभाग / कार्यालय का नाम।		पृष्ठ सं0-
2	पद का नाम जिस पर संविदा नियोजन प्रस्तावित है।		
3	प्रस्तावित पद संकल्प सं0–10000 दिनांक–10.07.2015 की अनुसूची के किस क्रमांक पर शामिल है।		
4	(i) अभ्यर्थी (जिसका संविदा नियोजन प्रस्तावित है) का नाम एवं पदनाम, (जिस पद से सेवानिवृत्त होने वाले हैं)। (ii) उक्त पद पर कार्यानुभव की अवधि।		
5	(i) विभाग / कार्यालय का नाम, जहाँ से अभ्यर्थी सेवानिवृत्त होने वाले है। (i) विभाग / कार्यालय में कार्यानुभव की अवधि।		
6	(i) अभ्यर्थी की जन्म तिथि। (i) सेवानिवृत्ति की तिथि।		
7	अभ्यर्थी के विरूद्ध कोई आपराधिक वाद / निगरानी वाद / विभागीय कार्यवाही लंबित है या नहीं।		
8	अभ्यर्थी के विरूद्ध दण्ड की कार्यवाही :– (i) सेवाकाल के अन्तिम 10 वर्षों में वृहत दण्ड (ii) सेवाकाल के अन्तिम 05 वर्षों में लघु दण्ड (iii) पेंशन से कटौती का कोई दण्ड (पेंशन नियमावली के अधीन)		
9	असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र संलग्न है या नही।		

प्रस्ताव चयन समिति को अग्रसारित करने
वाले विभागाध्यक्ष/कार्यालय प्रधान का हस्ताक्षर।

अनुसूचीः–02

सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के संविदा विस्तार हेतु चयन का प्रस्ताव चयन समितियों को भेजने हेतु जाँच–पत्र।

1	विभाग / कार्यालय का नाम		**पृष्ठ सं0**
2	संविदा नियोजित कर्मी का नाम		
3	पदनाम		
4	प्रस्तावित पद संकल्प सं0–10000 दिनांक–10.07.2015 की अनुसूची के किस क्रमांक पर शामिल है		
5	जन्म तिथि		
6	सेवानिवृत्ति तिथि		
7	**(A) प्रथम संविदा नियोजन का विवरण** (क) संविदा नियोजन की समिति (ख) समिति की बैठक की तिथि (ग) प्रथम संविदा नियोजन का आदेश	 – – –	
8	**(B) 65 वर्ष के पूर्व अवधि विस्तार का विवरण** (क) अनुवर्त्ती संविदा नियोजन आदेश (ख) उक्त आदेश द्वारा विस्तारित संविदा अवधि (ग) 65 वर्ष की आयु पूरी होने की तिथि (घ) 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक संविदा अवधि विस्तार निरंतर है या नही	 **सं0..........दिनांक..................** **(...................... से .... तक)** .... **हाँ / नहीं**	
9	**(C) 66 वर्ष के पूर्व अवधि विस्तार का विवरण** (क) समिति की बैठक की तिथि (ख) अनुवर्त्ती संविदा नियोजन का आदेश (ग) उक्त आदेश द्वारा विस्तारित संविदा अवधि	 –– **सं0..........दिनांक..................** **(...................... से .... तक)**	
10	आरोप की स्थिति		
11	दण्ड की स्थितिः– (i) सेवाकाल के अन्तिम 10 वर्षों में वृहत दण्ड (ii) सेवाकाल के अन्तिम 05 वर्षों में लघु दण्ड (iii) पेंशन से कटौती का कोई दण्ड (पेंशन नियमावली के अधीन)	 – – –	
12	संवर्ग नियंत्री प्राधिकार की सहमति प्राप्त है या नहीं		
13	असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र		

प्रस्ताव चयन समिति को अग्रसारित करने
वाले विभागाध्यक्ष / कार्यालय प्रधान का हस्ताक्षर।

प्रशाखा की प्राथमिकताएँ

1. विभाग द्वारा सचिवालय एवं संलग्न कार्यालय में कार्यरत कर्मी के सेवाकाल में मृत्योपरांत उनके आश्रित को त्वरित राहत पहुँचाने हेतु केन्द्रीय अनुकम्पा समिति का गठन किया गया है। प्रशाखा द्वारा 15 दिनों पर केन्द्रीय अनुकम्पा समिति की बैठक की जाती है ताकि कोई अनुकम्पा नियुक्ति से संबंधित मामला लंबित ना हो।

2. प्रशाखा द्वारा सेवानिवृत्त सरकारी कर्मियों के सेवानिवृत्ति के पश्चात् सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं0–10000 दिनांक–10.07.2015 के अंतर्गत संविदा पर नियोजन हेतु गठित राज्य स्तरीय एवं विभागस्तरीय चयन समिति की बैठक भी ससमय की जाती है।

प्रशाखा की आगामी कार्य योजना

1. प्रशाखा द्वारा सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों में से किसी एक की अनुकम्पा नियुक्ति हेतु ऑनलाईन आवेदन समर्पित करने तथा समर्पित आवेदनों के अनुश्रवण हेतु पोर्टल विकसित करने कि लिए बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी से अनुरोध किया गया है, जिसके आलोक में ऑनलाईन पोर्टल विकसित करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

2. प्रशाखा द्वारा अनुकम्पा से संबंधित मार्गदर्शन विभिन्न विभागों एवं समाहरणालय द्वारा मांगा जाता है, जिसके आलोक में प्रशाखा द्वारा FAQतैयार किया जा रहा है।

परिपत्रों की सूची

क्र0 सं0	पत्रांक	दिनांक	विषय	पृष्ठ सं0
1.	10000	10.07.2015	सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों की सेवायें संविदा के आधार पर लेने के संबंध में।	19
2.	3815	11.03.2016	सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के नियोजन हेतु पारदर्शी चयन प्रक्रिया अपनाने के संबंध में।	31
3.	9893	02.08.2017	सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों की सेवायें संविदा के आधार पर नियोजन हेतु जॉच-पत्र में सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में।	36
4.	13293	05.10.1991	अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया।	38
5.	2822	27.04.1995	सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों को वर्ग-3 एवं वर्ग-4 के पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया में संशोधन।	41
6.	15783	19.11.2014	अनुकम्पा नियुक्ति के आधार पर Gainfully नियोजिन के संबंध में।	44
7.	14157	09.11.2017	अनुकम्पा नियुक्ति में सधवा पुत्रवधु को आश्रित की श्रेणी में रखने के संबंध में।	46
8.	11959	30.08.2019	अनुकम्पा नियुक्ति मामलों में नाबालिग आश्रित के संबंध में।	48
9.	5014	16.04.2021	अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की अनुमान्यता के संबंध में।	50
10.	13573	18.11.2021	मृत सरकारी सेवक के पति/पत्नी में से किसी एक के पेंशनर होने की देयता के संबंध में।	53

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

।। संकल्प ।।

विषयः— सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों की सेवायें संविदा के आधार पर लेने के संबंध में।

विभिन्न विभागों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों यथा जिला/प्रखण्ड/अंचल में कार्य बोझ (Work Load) तो काफी बढ़ गए हैं पर पदाधिकारियों एवं कर्मियों की बड़ी संख्या में रिक्तियाँ कार्यों के निष्पादन में व्यवधान उत्पन्न करती हैं। सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं0 8025 दिनांक 21.05.2013 द्वारा सभी विभागों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों को अपने अधीन सभी संवर्गों के रिक्त पदों पर एक वर्ष में नियमित नियुक्ति कर लिए जाने हेतु निदेश निर्गत किये गये हैं। अनेक विभागों में नियमित नियुक्ति के लिए कार्रवाई प्रारंभ भी की जा चुकी है। परंतु कर्मचारी चयन आयोग एवं बिहार लोक सेवा आयोग के कार्य करने की सीमा को ध्यान में रखते हुए शीघ्र ही सारी नियुक्तियाँ हो पाना संभव नहीं प्रतीत होता है; यद्यपि इसके लिए काफी सकारात्मक प्रयास भी किये जा रहे हैं।

2. यह सर्वविदित है कि नियमित नियुक्तियों का कोई उचित विकल्प नहीं हो सकता है, परंतु नियमित नियुक्तियों में संभावित अपरिहार्य विलम्ब की अवधि में कार्य प्रभावित नहीं हो, इसके लिए अन्य विकल्पों पर भी ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

3. इस उद्देश्य की प्रतिपूर्ति हेतु सरकार द्वारा समयक विचारोपरांत विभिन्न विभागों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों की सेवायें संविदा पर लिये जाने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं0 2804 दिनांक 29.03.2010 द्वारा मार्गदर्शन एवं प्रकिया निर्गत किया जा चुका है। कालान्तर में उक्त संकल्प की समीक्षा के कम में उसके कतिपय प्रावधानों के वर्त्तमान परिप्रेक्ष्य में अव्यवहारिक हो जाने के कारण सरकार द्वारा उक्त संकल्प एवं उसके तहत् निर्गत अन्य संकल्पों/आदेशों को संशोधित करते हुए निर्णय लिया गया है कि विभिन्न विभागों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में सरकारी सेवकों की सेवायें संविदा के आधार पर लिए जाने हेतु निम्नानुसार कार्रवाई की जायेगी :—

(1) सभी विभागों/क्षेत्रीय कार्यालयों में **संलग्न अनुसूची** में उल्लिखित पदों पर पूर्व से सेवा निवृत्त अथवा भविष्य में सेवा निवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों को इस संकल्प की अधोलिखित उप—कंडिकाओं के प्रावधानानुसार संविदा के आधार पर नियोजित किया जा सकेगा।

परंतु **संलग्न अनुसूची** में उल्लिखित पदों से भिन्न पदों पर सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के संविदा के आधार पर नियोजन की आवश्यकता होने पर संबंधित विभागों/क्षेत्रीय कार्यालयों से अनुरोध प्राप्त होने पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा **संलग्न अनुसूची** में उक्त पदों को जोड़े जाने की कार्रवाई अलग से की जा सकेगी।

(2) सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों की सेवायें लेने के दो तरीके होंगे:–

(क) भविष्य में सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों का चयन एवं

(ख) पूर्व से सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों का चयन।

(क) <u>भविष्य में सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों का चयन</u>।– (i) संकल्प की **संलग्न अनुसूची** में वर्णित पद से भविष्य में सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों का आकलन कर संबंधित विभाग द्वारा इन पदों पर सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों के चयन के लिए इस संकल्प की कंडिका– 3(3) के तहत् गठित संबंधित चयन समिति की अनुशंसा प्राप्त की जायेगी एवं चयन समिति की अनुशंसा प्राप्त होने पर ही संबंधित विभागों/कार्यालयों के सक्षम नियुक्ति प्राधिकार द्वारा संविदा के आधार पर नियोजन की कार्रवाई की जायेगी।

(ii) चयन हेतु अनुशंसा प्राप्त करने के पूर्व सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवक के संवर्ग नियंत्री विभाग की सहमति आवश्यक होगी।

(iii) किसी पद विशेष से सेवानिवृत्त सरकारी सेवक का चयन उसी पद विशेष अथवा समकक्ष पद के विरुद्ध किया जा सकेगा। उच्च वेतनमान के पद से सेवानिवृत्त सरकारी सेवक का संविदा पर नियोजन निम्न वेतनमान के पद पर नहीं किया जा सकेगा।

(iv) एक विभाग/जिला से सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवक अन्य विभाग/जिला में भी नियोजन के लिए पात्र माने जाएंगे।

(v) चयन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष होगी। चयन प्रथमतः दो वर्षों, अथवा उक्त पद पर नियमित नियुक्ति होने तक, के लिए होगा तथा अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष तक आवश्यकतानुसार एक–एक साल के लिए उनकी सेवा का विस्तार उनके कार्यों की समीक्षा के उपरांत किया जा सकेगा। विशेष परिस्थिति में संबंधित विभाग द्वारा अपने अधीन सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों का संविदा–विस्तार वित्त विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति से, 65 वर्ष के बाद भी, 67 वर्ष तक किया जा सकेगा।

परंतु वैसे पदों, जिनकी सेवा निवृत्ति की आयु ही 65 वर्ष निर्धारित है, पर संविदा के आधार पर नियोजन हेतु अधिकतम आयु सीमा 70 वर्ष होगी।

(vi) इनके द्वारा किये जा रहे कार्यों की समीक्षा समय–समय पर की जाएगी और कार्य संतोषजनक नहीं हाने पर उनकी संविदा रद्द की जा सकेगी।

(vii) चूँकि जिस पद से सरकारी सेवक (आरक्षित/अनारक्षित) सेवानिवृत्त हो रहें हैं, उनका चयन पुनः उसी पद पर किये जाने से संकल्प संख्या–117 दिनांक– 30.09.1995 के आलोक में आरक्षण का अनुपालन स्वतः हो जाएगा अतः ऐसे नियोजन हेतु अलग से आरक्षण रोस्टर क्लियर कराने की आवश्यकता नहीं होगी। परन्तु एक विभाग/जिला से सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवक का नियोजन अन्य विभाग एवं जिला में किये जाने से आरक्षण रोस्टर क्लियर करने की आवश्यकता होगी। ऐसे चयन के लिए आदर्श रोस्टर चलेगा जो बिन्दु एक से प्रारंभ किया जायेगा।

(ख) <u>पूर्व से सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के चयन के लिए</u>– (i) **संलग्न अनुसूची** में उल्लिखित पदों पर पूर्व से सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के संविदा नियोजन के लिए अनुरोध प्राप्त होने पर उनके चयन हेतु संबंधित विभाग/प्रमंडल/जिला द्वारा अपने विभागीय/प्रमंडलीय/जिला के **website** में तथा समाचार पत्रों के माध्यम से आम विज्ञापन निकालकर आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे और इस प्रकार प्राप्त आवेदन इस संकल्प की कंडिका 3(3) के तहत् गठित संबंधित चयन समिति के समक्ष विचार हेतु उपस्थापित किए जायेंगे। संबंधित चयन समिति की अनुशंसा पर संबंधित विभाग/कार्यालय के सक्षम नियुक्ति प्राधिकार द्वारा संविदा के आधार पर नियोजन किया जा सकेगा।

(ii) चयन हेतु अनुशंसा प्राप्त करने के पूर्व सेवा निवृत्त सरकारी सेवक के संवर्ग नियंत्री विभाग की सहमति आवश्यक होगी।

(iii) किसी पद विशेष से सेवानिवृत्त सरकारी सेवक का चयन उसी पद विशेष अथवा समकक्ष पद के विरुद्ध किया जा सकेगा। उच्च वेतनमान के पद से सेवानिवृत्त सरकारी सेवक का संविदा पर नियोजन निम्न वेतनमान के पद पर नहीं किया जा सकेगा।

(iv) एक विभाग/जिला से सेवानिवृत्त सरकारी सेवक अन्य विभाग/जिला में भी नियोजन के लिए पात्र माने जायेंगे।

(v) चयन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष होगी। चयन प्रथमतः दो वर्षों, अथवा उक्त पद पर नियमित नियुक्ति होने तक, के

लिए होगा तथा अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष तक आवश्यकतानुसार एक–एक साल के लिए उनकी सेवा का विस्तार उनके कार्यों की समीक्षा के उपरांत किया जा सकेगा। विशेष परिस्थिति में संबंधित विभाग द्वारा अपने अधीन सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों का संविदा–विस्तार वित्त विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति से, 65 वर्ष के बाद भी, 67 वर्ष तक किया जा सकेगा।

परंतु वैसे पदों, जिनकी सेवा निवृत्ति की आयु ही 65 वर्ष निर्धारित है, पर संविदा के आधार पर नियोजन हेतु अधिकतम आयु सीमा 70 वर्ष होगी।

(vi) इनके द्वारा किये जा रहे कार्यों की समीक्षा समय–समय पर की जाएगी और यदि कार्य संतोषजनक नहीं हो तो उनकी संविदा रद्द की जा सकेगी।

(vii) चयन के लिए आदर्श रोस्टर चलेगा जो बिन्दु एक से प्रारंभ होगा।

(3) सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के चयन हेतु निम्न प्रकार से चार स्तर पर चयन समिति गठित की जाएगी :–

(क) <u>राज्यस्तरीय चयन समिति</u>– समूह–'क' के पदों पर निम्नवत् गठित राज्यस्तरीय चयन समिति की अनुशंसा पर संविदा नियोजन किया जा सकेगा–

(i) मुख्य सचिव, बिहार	–अध्यक्ष
(ii) प्रधान सचिव / सचिव, वित्त विभाग	–सदस्य
(iii) प्रधान सचिव / सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग	–सदस्य सचिव
(iv) संबंधित प्रशासी विभाग के प्रधान सचिव / सचिव जिनके विभाग में संविदा नियोजन प्रस्तावित हो	– विशेष आमंत्रित सदस्य
(v) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मनोनीत अ0जा0 / अ0ज0जा0 के पदाधिकारी, जो संयुक्त सचिव से अन्यून स्तर के हों	–सदस्य
(vi) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मनोनीत अल्पसंख्यक समुदाय के पदाधिकारी, जो संयुक्त सचिव से अन्यून स्तर के हों	–सदस्य

(ख) <u>विभाग स्तरीय चयन समिति</u>– समूह–'क' से भिन्न सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के पदों पर संविदा के आधार पर सेवा लेने हेतु सेवा निवृत्त सरकारी सेवकों का चयन सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन निम्नवत् गठित चयन समिति की अनुशंसा पर किया जा सकेगा–

(i) प्रधान सचिव / सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग	–अध्यक्ष
(ii) प्रधान सचिव / सचिव, वित्त विभाग	–सदस्य

(iii) संबंधित प्रशासी विभाग के संयुक्त सचिव से अन्यून, पदाधिकारी, जिनके विभाग में संविदा नियोजन प्रस्तावित हो — विशेष आमंत्रित सदस्य

(iv) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मनोनीत अ0जा0/अ0ज0जा0 के पदाधिकारी, जो संयुक्त सचिव से अन्यून स्तर के हों —सदस्य

(v) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मनोनीत अल्पसंख्यक समुदाय के पदाधिकारी, जो संयुक्त सचिव से अन्यून स्तर के हों —सदस्य

(ग) <u>प्रमंडल स्तरीय चयन समिति</u>— ऐसे पदों, जिनके नियुक्ति प्राधिकार प्रमंडलीय आयुक्त अथवा प्रमंडल स्तरीय पदाधिकारी हों, पर सेवा लेने हेतु सेवा निवृत्त सरकारी सेवकों का चयन प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा गठित प्रमंडल स्तरीय चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर किया जा सकेगा, जिसमें अनुसूचित जाति के एक पदाधिकारी को सदस्य के रूप में रखा जाना अनिवार्य होगा।

(घ) ऐसे पदों, जिनके नियुक्ति प्राधिकार जिला पदाधिकारी अथवा जिला स्तरीय पदाधिकारी हों, पर सेवा लेने हेतु सेवा निवृत्त सरकारी सेवकों का चयन **जिला पदाधिकारी के स्तर पर गठित चयन समिति** की अनुशंसा के आधार पर किया जा सकेगा। उक्त चयन समिति निम्नवत् होगी—

(i) जिला पदाधिकारी — अध्यक्ष

(ii) उप विकास आयुक्त — सदस्य

(iii) अपर समाहर्त्ता — सदस्य

(iv) संबंधित कार्यालय के जिला स्तरीय पदाधिकारी, (जिनके अधीन संविदा नियोजन प्रस्तावित हो।) — सदस्य

(v) अनुसूचित जाति के उप समाहर्त्ता स्तर के एक पदाधिकारी (जिनका मनोनयन जिला पदाधिकारी करेंगे) — सदस्य

(4) उक्त प्रक्रिया के अधीन निम्नांकित सरकारी सेवकों की सेवायें नहीं ली जा सकेंगी :—

(i) जिन पर कोई निगरानी का मामला चल रहा हो।
(ii) जिन पर कोई विभागीय कार्यवाही चल रही हो।
(iii) जिन पर कोई गंभीर आरोप विचाराधीन हो।
(iv) जिन पर किसी भी तरह का कोई आपराधिक मामला दर्ज हो।

(v) सामान्यतः प्रोन्नति की श्रृखंला वाले पदों पर उक्त व्यवस्था लागू नहीं रहेगी, परंतु संबंधित विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि यदि प्रोन्नत पद

पर प्रोन्नति अगले एक वर्ष के अन्दर दिया जाना संभव नहीं हो वहाँ ऐसी नियुक्तियाँ उक्त व्यवस्था के अंतर्गत की जा सकती है।

(5) नियोजन हेतु सरकारी सेवकों का चयन किये जाते समय उनके सरकारी कार्य हेतु स्वस्थ होने के संबंध में असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र आवश्यक होगा।

(6) (i) संविदा पर नियोजित सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों का मासिक मानदेय उन्हें प्राप्त होने वाले अंतिम वेतन+सेवानिवृत्ति के समय अंतिम वेतन पर प्राप्त महँगाई भत्ता के योगफल की राशि में से पेंशन की राशि+सेवानिवृत्ति के समय पेंशन की राशि पर प्राप्त महँगाई राहत की राशि को घटाने के बाद जो राशि प्राप्त होगी वही होगा, परन्तु पेंशन पर महँगाई राहत का भुगतान होता रहेगा। मासिक मानदेय की यह राशि उक्त सेवानिवृत्त सरकारी सेवक के संविदा अवधि में कार्यरत रहने की तिथि तक स्थिर रहेगी। मानदेय निर्धारण की यह प्रकिया केवल संविदा के आधार पर नियोजन में ही लागू होगी, अन्य किसी प्रकार के पुनर्नियोजन पर यह प्रकिया लागू नहीं होगी।

मानदेय का भुगतान संबंधित विभाग/कार्यालय स्थापना के मुख्य बजट शीर्ष में **व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिए अदायगियाँ** ईकाई में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

(ii) सरकारी कार्यवश यात्रा किये जाने की स्थिति में यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता उस दर से अनुमान्य होगा जो उनके धारित पद के लिए एक नियमित सरकारी सेवक को अनुमान्य है।

(iii) पदीय दायित्व को ध्यान में रखकर परिवहन एवं टेलीफोन की सुविधाएँ संबंधित विभाग द्वारा दी जा सकेगी तथा इस पर निर्णय नियोजन के समय ही संबंधित विभाग द्वारा लिया जायेगा।

(iv) सेवानिवृत्त और संविदा नियोजन के बीच वेतन/पेंशन पुनरीक्षण हो जाने की स्थिति में भी निर्धारित मानदेय अपरिवर्तित रहेगा।

(7) नई पेंशन योजना से सेवानिवृत्त सरकारी सेवक अथवा बोर्ड/निगम/लोक उपकमों से सेवानिवृत्त कर्मियों का संविदा नियोजन–

(i) नई पेंशन योजना से आच्छादित सेवानिवृत्त सरकारी सेवक को संविदा पर नियोजन सेवानिवृत्ति के समय धारित पद/समकक्ष पदों पर किया जा सकेगा।

बोर्ड/निगम/लोक उपकमों से सेवानिवृत्त कर्मियों को संविदा पर नियोजन सरकारी विभागों/कार्यालयों में सेवानिवृत्ति के समय धारित पद/समकक्ष पदों पर किया जा सकेगा।

(ii) ऐसे कर्मियों का चयन भी उपर्युक्त उप कंडिका–(3) में प्रावधानित चयन समिति की अनुशंसा पर किया जा सकेगा।

(iii) ऐसे संविदा पर नियोजित कर्मियों का मासिक मानदेय उनके नियोजन के पद संवर्ग के लिए अनुमान्य पे–बैण्ड का प्रारंभिक वेतन + उस प्रारंभिक वेतन पर नियोजन की तिथि को अनुमान्य महँगाई भत्ता की राशि का योगफल के समतुल्य होगा। परंतु इस प्रकार से परिगणित मानदेय सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त वेतन एवं उस पर अनुमान्य महँगाई भत्ता के योगफल से अधिक नहीं होगी। अधिक होने की स्थिति में सेवानिवृत्ति के समय वेतन+महंगाई भत्ता का योगफल ही पारिश्रमिक के रूप में अनुमान्य किया जायेगा। इस प्रकार निर्धारित मानदेय संविदा अवधि में स्थिर रहेगा।

4. संविदा पर नियोजित सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों को सभी पदीय शक्तियाँ प्राप्त रहेंगी।

5. संविदा पर नियोजित सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों/बोर्ड एवं निगम के कर्मियों को आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त सरकारी सेवकों की भाँति क्षतिपूर्ति अवकाश भी अनुमान्य होगा।

6. पूर्व से संविदा पर नियोजित कर्मियों के संदर्भ में संकल्प के प्रावधान निर्गत की तिथि से प्रभावी होंगे।

7. पूर्व से इस संबंध में निर्गत सभी संकल्प/परिपत्र/पत्र इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे तथा शेष प्रावधान यथावत रहेंगे।

आदेश:– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प का प्रकाशन राजकीय गजट के असाधारण अंक में किया जाए तथा इसकी 25 प्रतियाँ सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध करायी जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(अनिल कुमार)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक– 3/एम0–63/2013सा0प्र0 10000/पटना–15, दिनांक– 10.7.2015

प्रतिलिपि–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग/वित्त विभाग (ई–गजट प्रशाखा), बिहार, पटना को बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

(अनिल कुमार)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक– 3/एम0–63/2013सा0प्र0 10000/ पटना–15, दिनांक– 10.7. 2015

प्रतिलिपि– मुख्य सचिव, बिहार/सभी प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अनिल कुमार)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक– 3/एम0–63/2013सा0प्र0 10000/ पटना–15, दिनांक– 10.7. 2015

प्रतिलिपि– प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव एवं सभी पदाधिकारी (प्रशाखा पदाधिकारी सहित), सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अनिल कुमार)
सरकार के अपर सचिव।

अनुसूची

(देखें संकल्प की कंडिका 3(1), 3(2)(क)(i), 3(2)(ख)(i))

पदों का नाम जिनपर सेवा निवृत्त हाने वाले अथवा पूर्व से सेवा निवृत्त पदाधिकारियों का संविदा के आधार पर नियोजन किया जा सकता है–

1. राजस्व कर्मचारी
2. पंचायत सचिव (पंचायत सेवक)
3. जन सेवक
4. अमीन
5. अंचल निरीक्षक
6. प्रखंडों में कार्य करने वाले अन्य पर्यवेक्षकीय पदाधिकारी जिनसे बिहार ग्रामीण विकास सेवा एवं बिहार राजस्व सेवा संवर्गों के अधीन पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्तियाँ की जा रही हैं।
7. ए0एन0एम0
8. ग्रेड 'ए' नर्सेज
9. सचिवालय सहायक
10. पैरा मेडिकल स्टाफ, जैसे कि ओ0टी0 असिस्टेंट/ड्रेसर/फार्मासिस्ट आदि
11. जिला पदाधिकारी कार्यालय अथवा उनके अधीन कार्यालयों के लिपिक।
12. सचिवालय संवर्ग के आशुलिपिक एवं क्षेत्रीय कार्यालय (समाहरणालय) के आशुटंकक संवर्ग।
13. चालक
14. स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली कार्यालय के सहायक प्रबंधक, परिवहन एवं न्याचार का पद।
15. बिहार मानवाधिकार आयोग में रजिस्ट्रार एवं सहायक रजिस्ट्रार का पद।
16. जिला उपभोक्ता फोरम एवं राज्य उपभोक्ता आयोग के लिपिकों, बेंच कलर्कों, आशुटंककों एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों का पद।
17. गृह विभाग के सैनिक कल्याण निदेशालय के अंतर्गत जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों में भूतपूर्व सैनिकों के संविदा नियोजन हेतु निम्नवर्गीय लिपिक के पद।
18. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी का पद।
19. बिहार गजेटियर्स, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में शोध पदाधिकारी का पद।
20. जल संसाधन विभाग में जनसम्पर्क पदाधिकारी का पद।
21. पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग (मत्स्य) में उप मत्स्य निदेशक, मत्स्य प्रसार पदाधिकारी, मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक, मत्स्य निरीक्षक, लिपिक, प्रधान लिपिक एवं चालक का पद।
22. श्रम संसाधन विभाग में बिहार राज्य समुद्रपार नियोजन ब्यूरो में पदाधिकारी का पद।

23. श्रम संसाधन विभाग के बिहार सचिवालय भोजशाला में बियरर, सहायक रसोईया एवं विक्रेता का पद।

24. पर्यावरण एवं वन विभाग के बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद में प्रशाखा पदाधिकारी का पद।

25. अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अधीन विभिन्न विद्यालयों में स्नातक शिक्षकों का पद।

26. उर्जा विभाग में डिग्री धारी सहायक विद्युत अभियंता का पद।

27. विधि विभाग में अभिलेखावाह का पद।

28. सम्पर्क कार्यालय (विधि विभाग), बिहार भवन, नई दिल्ली में कार्यालय परिचारी का पद।

29. पर्यावरण एवं वन विभाग में सहायक वन संरक्षक, वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, वनपाल, वनरक्षी एवं अमीन का पद।

30. योजना एवं विकास विभाग के बिहार राज्य योजना पर्षद के अंतर्गत प्रारूपक का पद।

31. ग्रामीण विकास विभाग के अन्तर्गत मनरेगा योजनाओं के सफल क्रियान्वयन, नियंत्रण एवं प्रबंधन हेतु पंचायत तकनीकी सहायक, कनीय अभियंता, सहायक अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता का पद।

32. गृह (आरक्षी) विभाग के अधीन वितंतु संचार व्यवस्था को बनाये रखने के उद्देश्य से बिहार पुलिस रेडियो संगठन, पटना के साक्षर सिपाही (तक0), सहायक अवर निरीक्षक (तक0), अवर निरीक्षक (तक0) एवं पुलिस निरीक्षक (तक0) स्तर का पद।

33. निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना के अधीन पुलिस उपाधीक्षक का पद।

34. योजना एवं विकास विभाग (अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय) के अन्तर्गत तकनीकी पदाधिकारी एवं सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी का पद।

35. सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग में सूचना लिपिक, छायाकार, उर्दु सहायक, अनुवादक, वाहन चालक, आशुलिपिक एवं अनुसेवक का पद।

36. सचिवालय लिपिकीय सेवा के उच्चवर्गीय लिपिक एवं निम्नवर्गीय लिपिक का पद।

37. पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों में स्नातक शिक्षक का पद।

38. बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में सचिव, अपर सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव, अवर सचिव एवं प्रशाखा पदाधिकारी का पद।

39. परिवहन विभाग के ट्रेजरी सरकार का पद।

40. गृह (आरक्षी) विभाग के बिहार पुलिस रेडियो संगठन के ऑपरेशनल उप संवर्ग के साक्षर सिपाही (ऑप0), सहायक अवर निरीक्षक (ऑप0), अवर निरीक्षक (ऑप0) एवं पुलिस निरीक्षक (ऑप0) का पद।

41. महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवायें, बिहार के कार्यालय में उप निदेशक बजट एवं लेखा (बि0स0से0 के अवर सचिव के समकक्ष) का पद।

42. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के वरीय लेखा लिपिक, कनीय लेखा लिपिक, उच्चवर्गीय लिपिक, निम्नवर्गीय लिपिक, पम्प ऑपरेटर, नलकूप मिस्त्री, प्लम्बिग मिस्त्री, इलेक्ट्रिशिएन एवं आदेशपाल का पद।

43. स्वास्थ्य विभाग के प्राध्यापक एवं सह–प्राध्यापक का पद।

44. सचिवालय एवं संलग्न कार्यालय में ट्रेजरी सरकार का पद।

45. गन्ना उद्योग विभाग के अधीन सहायक निदेशक एवं ईख प्रसार पदाधिकारी का पद

46. योजना एवं विकास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन गठित स्थानिक क्षेत्र अभियंत्रण संगठन में कनीय अभियंता, सहायक अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता का पद

47. निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के क्षेत्रीय निबंधन कार्यालयों के अधीन कार्यालय अधिक्षक, प्रधान लिपिक, अभिलेखपाल, उच्चवर्गीय लिपिक एवं निम्नवर्गीय लिपिक का पद।

48. सचिवालय एवं संलग्न कार्यालय में कार्यालय परिचारी का पद।

49. खान एवं भूतत्व विभाग में विधि पदाधिकारी पद पद

50. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग/बिहार राज्य अभिलेखागार निदेशालय के अन्तर्गत राज्य अभिलेखागार निदेशालय एवं क्षेत्रीय अभिलेखागार के अधीन अभिलेखवाह का पद।

51. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के नियंत्रणाधीन (क) स्थानिक आयुक्त बिहार, बिहार भवन, नई दिल्ली के कार्यालय के लिपिक का पद एवं (ख) स्थानिक आयुक्त, बिहार, बिहार भवन, नई दिल्ली के कार्यालय के स्वागतक–सह–दुरभाष परिचर का पद।

52. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, सिविल विमानन निदेशालय में उड्डन लिपिक का पद।

53. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के नियंत्रणाधीन स्थानिक आयुक्त बिहार, बिहार भवन, नई दिल्ली के कार्यालय के दुरभाष परिचर का पद।

54. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अधीक्षक, राजकीय अतिथिशाला का पद।

55. श्रम संसाधन विभाग में संयुक्त श्रमायुक्त; उप–श्रमायुक्त एवं सहायक श्रमायुक्त का पद

56. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कृषि गणना प्रक्षेत्र के केन्द्रीय योजना स्कीम के अन्तर्गत सृजित पदों यथा संयुक्त निदेशक; उप निदेशक; सहायक निदेशक; सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी एवं सांख्यिकी सहायक का पद।

57. बिहार सचिवालय सेवा के उप सचिव एवं अवर सचिव का पद।

58. अभियोजन निदेशालय, गृह विभाग के अधीन क्षेत्रीय अभियोजन कार्यालयों के लिपिक–सह–टंकक का पद।

59. वाणिज्य–कर विभाग में वाणिज्य–कर विभाग के बिहार वित्त सेवा के सभी कोटि के पदाधिकारी।

60. सचिवालय एवं संलग्न कार्यालय में बिहार सचिवालय सेवा के प्रशाखा पदाधिकारी का पद।

61. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अधीन संकलक का पद।

62. ग्रामीण कार्य विभाग के अधीन अधीक्षण अभियंता संवर्ग के संयुक्त सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी का पद।

पत्र सं0–3/एम0 37/2015 सा0प्र0– 3815/

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

श्रीमती अश्विनी दत्तात्रेय ठकरे,भा0प्र0से0
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सरकार के सभी प्रधान सचिव/सचिव।
सभी विभागाध्यक्ष।
सभी प्रमंडलीय आयुक्त।
सभी जिला पदाधिकारी।

पटना, दिनांक– 11 मार्च, 2016

विषयः– सेवा निवृत्त सरकारी सेवकों के संविदा के आधार पर नियोजन हेतु पारदर्शी चयन प्रकिया अपनाने के संबंध में दिशा निर्देश।

महाशय,

विभागीय संकल्प सं0 10000 दिनांक 10.07.2010 (सहपठित संकल्प सं0–2804 दिनांक 29.03.2010) में सेवा निवृत्त सरकारी सेवकों को संविदा के आधार पर नियोजित करने के संबंध में दिशानिर्देश प्रावधानित हैं। फिर भी ऐसे सेवा निवृत्त सरकारी सेवकों के संविदा नियोजन हेतु चयन की प्रकिया को और अधिक पारदर्शी बनाने हेतु चयन समितियों की सुविधा के लिए निम्न मानदंड निर्धारित किये जाते हैं जिनके आधार पर चयन समितियों द्वारा संलग्न अनुसूची–1 में दी गयी अंक तालिका के अनुसार अंक दिये जा सकेंगे।–

(1) संबंधित विभाग/कार्यालय के पद विशेष से सेवा निवृत्त होने वाले अभ्यर्थियों को उसी विभाग के उसी पद हेतु चयन में प्राथमिकता दी जा सकेगी। परंतु एक ही विभाग से एक से अधिक अभ्यावेदन प्राप्त होने पर वैसे अभ्यावेदकों को प्राथमिकता दी जा सकेगी, जिनका संबंधित विभाग/कार्यालय में संबंधित पद पर कार्यानुभव अधिक अवधि तक रहा हो।

(2) संबंधित विभाग/कार्यालय के पद विशेष पर संविदा नियोजन हेतु उक्त विभाग/कार्यालय से सेवा निवृत्त अभ्यर्थियों का अभ्यावेदन प्राप्त नहीं होने पर अन्य विभागों/कार्यालयों से उसी पद विशेष अथवा समकक्ष पद से सेवा निवृत्त अभ्यर्थियों का चयन किया जा सकेगा। ऐसे चयन में संबंधित पद पर अधिक कार्यानुभव अवधि वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जा सकेगी।

(3) सेवा निवृत्ति के उपरांत संबंधित विभाग के उसी पद पर संविदा के आधार पर नियोजित होकर प्राप्त कार्यानुभव के लिए प्राथमिकता दी जा सकेगी।

(4) चूँकि संविदा पर नियोजन की अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष निर्धारित है और प्रथम नियोजन दो वर्षों के लिए किया जाना है अतः वैसे अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी जिनको सेवा निवृत्त हुए कम–से–कम समय हुआ हो। अर्थात् संविदा नियोजन में कम उम्र वाले अभ्यर्थियों को अधिक उम्र वाले अभ्यर्थियों के मुकाबले प्राथमिकता दी जा सकेगी।

(5) वैसे अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जा सकेगी जिनकी पिछले पाँच वर्षों की वार्षिक गोपनीय अभ्युक्ति/कार्य मुल्यांकण प्रतिवेदन में अभ्युक्ति अधिक श्रेष्ठ हो।

(6) सेवा काल में वृहत् दंड प्राप्त अभ्यर्थियों के मुकाबले बेदाग सेवा वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जा सकेगी।

2. चयन समितियों द्वारा सेवा निवृत्त सरकारी सेवकों के संविदा नियोजन पर अनुशंसा करते समय उपर्युक्त प्राथमिकता के आधार पर संलग्न अनुसूची–1 में निर्धारित अंक तालिका के अनुसार अधिकतम 25 अंकों के आधार पर चयन की अनुशंसा की जा सकेगी।

3. सेवा निवृत्त सरकारी सेवकों के संविदा नियोजन का प्रस्ताव चयन समितियों को भेजते समय संबंधित विभाग /कार्यालय संलग्न अनुसूची–2 में दिये गये जाँच–पत्र में सूचनायें उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

4. चयन समितियों के समक्ष सेवा निवृत्त हो चुके सरकारी सेवकों के संविदा नियोजन के वही मामले रखे जा सकेंगे जिनके संबंध में विभागों/कार्यालयों के प्रस्ताव चयन समिति की बैठक के एक माह पूर्व प्राप्त हुए हों और उपर्युक्त दिशा निर्देश के आलोक में कार्यालय द्वारा उनकी समीक्षा कर ली गयी हो।

5. भविष्य में सेवा निवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों के संबंध में संबंधित विभागों/कार्यालयों से प्रस्ताव बहुधा उनकी सेवा निवृत्ति की तिथि के ठीक पूर्व भेजे जाते हैं। इससे ऐसे मामलों में उनके गुण–दोष के आधार पर समीक्षा किये बगैर मामले चयन समिति के समक्ष रख दिये जाते है। अतएव सभी विभाग/कार्यालय यह सुनिश्चित करेंगे कि भविष्य में सेवा निवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों के संविदा नियोजन का प्रस्ताव उनकी सेवा निवृत्ति की तिथि के दो माह पूर्व ही चयन समिति को अनुशंसा सहित अग्रसारित किये जायें।

विश्वासभाजन

(अश्विनी दत्तात्रेय ठकरे)

सरकार के अपर सचिव।

अनुसूची – 1

सेवा निवृत्त सरकारी सेवकों के चयन हेतु अंकों का निर्धारण

	विचारण क्षेत्र	अंक	अधिकतम अंक
1	संबंधित विभाग में उसी पद / समकक्ष पद पर कार्यानुभव	1. 20 वर्ष से अधिक कार्यानुभव – 5 अंक 2. 10 वर्ष से अधिक पर 20 वर्ष से कम कार्यानुभव – – 3 अंक 3. 10 वर्ष से कम कार्यानुभव – 2 अंक	5 अंक
2.	अन्य विभागों में में उसी पद / समकक्ष पद पर कार्यानुभव	1. 20 वर्ष से अधिक कार्यानुभव – 3 अंक 2. 10 वर्ष से अधिक पर 20 वर्ष से कम कार्यानुभव – – 2 अंक 3. 10 वर्ष से अधिक कार्यानुभव – 1 अंक	3 अंक
3.	सेवा निवृत्ति के उपरांत उसी विभाग में उसी पद पर संविदा के आधार पर अधिकतम 2 वर्षों तक कार्यानुभव	1. अधिकतम 2 वर्षों का कार्यानुभव – 2 अंक 2. 1 वर्ष से अधिक किन्तु 2 वर्ष से कम कार्यानुभव – – 1 अंक	2 अंक
4.	संविदा नियोजन के समय उम्र	1. 60 वर्ष – 5 अंक 2. 61 वर्ष – 4 अंक 3. 62 वर्ष – 3 अंक 4. 63 वर्ष – 2 अंक 5. 64 वर्ष – 1 अंक	5 अंक
5.	पाँच वर्षों की वार्षिक गोपनीय अभ्युक्ति / कार्यमुल्यांकण प्रतिवेदन	1. प्रति वर्ष उत्कृष्ट अभ्यु0 के लिए – 2 अंक 2. प्रति वर्ष बहुत अच्छा अभ्यु0 के लिए –1.5 अंक 3. प्रति वर्ष अच्छा अभ्यु0 के लिए – 1 अंक	10 अंक
		कुल अंक	25 अंक

अनुसूची – 2

पूर्व से सेवा निवृत्त सरकारी सेवकों के संविदा के आधार पर नियोजन हेतु चयन का प्रस्ताव चयन समितियों को भेजे जाने हेतु जाँच–पत्र

1.	विभाग / कार्यालय का नाम।	
2.	पद का नाम जिसपर संविदा नियोजन प्रस्तावित है।	
3.	प्रस्तावित पद पर संविदा नियोजन हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या एवं दिनांक।	
4.	प्रस्तावित पद संकल्प सं0 10000 दिनांक 10.07.2015 की अनुसूची के किस कमांक पर शामिल है।	
5.	i.अभ्यर्थी (जिसका संविदा नियोजन प्रस्तावित है) का नाम एवं पद नाम, (जिस पद से सेवा निवृत्त हुआ है)। ii. उक्त पद पर कार्यानुभव की अवधि।	
6.	i. विभाग / कार्यालय का नाम, जहाँ से अभ्यर्थी सेवा निवृत्त हुआ है। ii. विभाग / कार्यालय में कार्यानुभव की अवधि।	
7.	विभाग में उसी पद पर पूर्व में संविदा के आधार पर कार्यानुभव की अवधि।	
8.	i. अभ्यर्थी की जन्म तिथि ii. सेवा निवृत्ति की तिथि।	
9.	अभ्यर्थी के विरूद्ध कोई आपराधिक वाद / निगरानी वाद / विभागीय कार्यवाही लंबित है या नहीं।	
10.	अभ्यर्थी को सेवा काल में दिये गये दंडों का विवरण।	

11.	असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र संलग्न है या नहीं।	
12.	अभ्यर्थी की पिछले पाँच वर्षों की वार्षिक गोपनीय अभ्युक्ति/कार्य मुल्यांकण प्रतिवेदन का विवरण ।	वर्ष अभ्युक्ति 1 2 3 4 5

प्रस्ताव चयन समिति को अग्रसारित
करने वाले विभागाध्यक्ष/कार्यालय प्रधान
का हस्ताक्षर।

—

पत्रांक–22 / सं0नि0–02 / 2017 सा0प्र0 9893 /
बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

भीम प्रसाद,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सरकार के सभी प्रधान सचिव / सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष,
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी।

पटना–15, दिनांक....02 अगस्त, 2017

विषयः– **भविष्य में सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों के संविदा के आधार पर नियोजन हेतु चयन का प्रस्ताव चयन समितियों को भेजते समय जाँच –पत्र में सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में।**

महाशय,

सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं0–10,000 दिनांक–10.07.2015 की कंडिका–3 (2)(क) के तहत भविष्य में सेवानिवृत्त होने वाले तथा कंडिका–3 (2)(ख) के तहत पूर्व से सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के संविदा नियोजन के संबंध में दिशा–निर्देश प्रावधानित किये गये हैं। संकल्प की अन्य कंडिकाओं के तहत दोनों प्रकार के सरकारी सेवकों के नियोजन हेतु सामान्य प्रावधान निरूपित हैं।

2. चयन की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने हेतु संकल्प के प्रावधानों के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक–3815 दिनांक–11.03.2016 की अनुसूची–1 में अंकों के निर्धारण तथा अनुसूची–2 के तहत पूर्व से सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के संबंध में विस्तृत सूचना प्राप्त करने हेतु जाँच–पत्र परिचारित किये गये हैं। परन्तु, सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों के संविदा नियोजन हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराने के क्रम में संबंधित विभाग / कार्यालय द्वारा नियोजन के इच्छुक कर्मियों से संबंधित सूचनाऐं उपलब्ध नहीं कराये जाने से चयन समितियों द्वारा अनुशंसा करने में कठिनाई अनुभव की जाती है।

3. अतः अनुरोध है कि भविष्य में सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों के संविदा नियोजन हेतु संकल्प सं0–10,000 दिनांक–10.07.2015 की कंडिका–3 (2)(क) के प्रावधानों के आलोक में प्रस्ताव भेजते समय संबंधित सरकारी सेवकों के संबंध में संलग्न अनुसूची में विस्तृत सूचना संचिका के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन
2/8/17
(भीम प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव

अनुसूची

भविष्य में सेवानिवृत्त होनेवाले सरकारी सेवकों के संविदा के आधार पर नियोजन हेतु चयन का प्रस्ताव चयन समितियों को भेजने हेतु जाँच–पत्र।

1	विभाग / कार्यालय का नाम।	
2	पद का नाम जिस पर संविदा नियोजन प्रस्तावित है।	
3	प्रस्तावित पद संकल्प सं0–10,000 दिनांक–10.07.2015 की अनुसूची के किस क्रमांक पर शामिल है।	
4	(i) अभ्यर्थी (जिसका संविदा नियोजन प्रस्तावित है) का नाम एवं पदनाम, (जिस पद से सेवानिवृत्त होनेवाले हैं)। (ii) उक्त पद पर कार्यानुभव की अवधि।	
5	(i) विभाग / कार्यालय का नाम, जहाँ से अभ्यर्थी सेवानिवृत्त होनेवाले है। (ii) विभाग / कार्यालय में कार्यानुभव की अवधि।	
6	(i) अभ्यर्थी की जन्म तिथि (ii) सेवानिवृत्ति की तिथि।	
7	अभ्यर्थी के विरूद्ध कोई आपराधिक वाद / निगरानी वाद / विभागीय कार्यवाही लंबित है या नहीं।	
8	असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र संलग्न है या नहीं।	

प्रस्ताव चयन समिति को अग्रसारित
करने वाले विभागाध्यक्ष / कार्यालय प्रधान
का हस्ताक्षर।

[29]

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

ज्ञाप संख्या-3/सी2-2067/90 का० 13293 पटना-15, दिनांक 5 अक्तूबर, 1991

सेवा में,

सरकार के सभी सचिव / सभी विभागाध्यक्ष /

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त /सभी जिला पदाधिकारी ।

विषय :- सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों को वर्ग-3 एवं 4 के पदों पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया ।

निदेशानुसार कहना है कि अब तक सेवा काल में किसी सरकारी सेवक की मृत्यु होने पर मृत सरकारी सेवक के आश्रितों को वर्ग-3 एवं वर्ग-4 के पदों पर नियुक्ति हेतु कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा निर्गत सभी अनुदेशों को अवक्रमित करते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की प्रक्रियाओं को इस प्रकार सरल एवं प्रभावकारी बनाया जाय कि सरकारी सेवक के मृत्यांपरान्त उसके आश्रित को बिना विलम्ब के वर्ग-3 के कतिपय पदों अथवा वर्ग-4 के पदों पर नियुक्ति मिल सके । इस उद्देश्य से सरकार ने निम्नांकित निर्णय लिया है :-

(1) किनका चयन हो सकता है :

(क) अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति का लाभ वैसे मृत सरकारी सेवक के एक ही आश्रित को अनुमान्य होगा जिनकी मृत्यु सेवाकाल में हुई है ।

(ख) इस हेतु सरकारी सेवक उसे ही माना जायेगा जिसकी नियुक्ति, स्वीकृत पद के विरुद्ध विधिवत की गई हो ।

(ग) सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों को ही अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की जा सकती है । आश्रित के अन्तर्गत केवल पुत्र, अविवाहित पुत्री तथा पुत्र की विधवा पत्नी सम्मिलित रहेगी । दत्तक पुत्र, दामाद, भतीजा आदि को आश्रित नहीं माना जायेगा ।

(घ) अनुकम्पा के आधार पर निम्नलिखित प्राथमिकताओं के अनुसार उनके आश्रित की नियुक्ति की जायेगी :-

(i) मृत सेवक की पत्नी ।

(ii) पुत्र ।

(iii) अविवाहित पुत्री ।

(iv) पुत्र की विधवा पत्नी ।

(ङ) यदि पति-पत्नी दोनों सरकारी सेवा में हो और किसी एक की मृत्यु हो जाय तो वैसी स्थिति में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति का लाभ उनके परिवार के किसी आश्रित को नहीं मिलेगा।

(च) यदि कोई महिला सरकारी सेवा में हो और उनके पति किसी सरकारी सेवा में कार्यरत नहीं हो तो महिला सरकारी सेवक की मृत्यु उपरान्त उनके पति को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति का लाभ प्राप्त हो सकेगा ।

(2) किनका चयन नहीं हो सकता है :-

निम्नांकित कोटियों में से किसी भी कोटि में आने वाले व्यक्ति का आवेदन प्रारम्भिक तौर पर ही अस्वीकृत कर दिया जायेगा, यदि खंड "ख" और "ग" के संबंध में कोई प्रतिकूल शपथ-पत्र नहीं दिया गया हो ।

(क) यदि आवेदक के प्रस्तावित पद हेतु सरकार द्वारा निर्धारित अर्हता प्राप्त नहीं हो । परन्तु महिला के मामले में साईकिल चलाने की अर्हता को क्षांत समझा जायेगा ।

(ख) यदि आवेदक को किसी संज्ञेय अपराध के अपराधी के रूप में न्यूनतम 6 माह के कारावास का दण्ड हुआ है ।

(ग) यदि आवेदक पर ऐसा मुकदमा न्यायालय के विचाराधीन हो जिसमें उन्हें मृत्युदण्ड अथवा सात वर्ष से अधिक के कारावास की सजा दिये जाने की सम्भावना हो, अथवा उक्त वाद के निस्तार होने पर आवेदक को 6 माह अथवा उससे अधिक का दण्ड दिया जाय ।

(3) आवेदन की समय - सीमा : -

आवेदन देने की कोई समय सीमा नहीं होगी । लेकिन नियुक्ति हेतु अधिकतम उम्र सीमा की अर्हता का कड़ाई से पालन किया जायेगा ।

(4) आवेदन पत्र का समर्पण और संलग्न किये जाने वाले कागजात :-

आवेदन हेतु निम्नांकित कागजात उसी कार्यालय में जहाँ मृत सरकारी सेवक अंतिम समय में कार्यरत थे, दाखिल करने होंगे ।

(क) अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु आवेदन विहित प्रपत्र में जिसका नमूना अनुलग्नक-। में उपलब्ध है ।

(ख) आवेदन पत्र के खण्ड-2 में उल्लेखित सभी बिन्दुओं पर अनुशंसा पदाधिकारी की अनुशंसा (नमूना अनुलग्नक-1 में) ।

(ग) मृत्यु प्रमाण पत्र ।

(घ) शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र ।

(ङ) आयु संबंधी प्रमाण पत्र ।

(च) जाति प्रमाण पत्र (केवल आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार के लिए) ।

उपरोक्त (ग) से (घ) तक के सभी कागजातों की मूल प्रतियाँ एवं एक-एक फोटो स्टेट प्रतियाँ संलग्न करना अनिवार्य होगा । जहाँ पर मृत सरकारी सेवक अंतिम समय में कार्यरत थे, उस कार्यालय के प्रधान को अनुशंसा पदाधिकारी कहा जायेगा । वे ही अनुलग्नक -1 (खंड-2) में विहित प्रपत्र के क्रमांक-7 को हस्ताक्षरित करेंगे ।

(5) विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र प्राप्त होने एवं उपर्युक्त कंडिकाओं में अन्य निर्धारित प्रमाण पत्र आदि प्राप्त होने के एक माह में उस कार्यालय / विभाग के नियुक्ति पदाधिकारी नियुक्ति पत्र निर्गत करेंगे।

(6) आरक्षण नीति संबंधी निर्देश :-

अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति में अगर रिक्ति आरक्षित बिन्दु पर हो तो आरक्षित बिन्दु को अग्रणीत करते हुए आवेदक को नियुक्त कर लिया जायेगा ।

(7) नियुक्ति पत्र का निर्गत किया जाना :-

(क) जिस व्यक्ति की नियुक्ति अनुकम्पा के आधार पर की जायेगी उसके नियुक्ति पत्र में निम्नांकित शर्तें अनिवार्य रूप से अभिलिखित की जायेगी :-

(i) नियुक्ति किये जा रहे व्यक्ति पर मृत सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के भरण-पोषण का पूर्णतः उत्तरदायित्व होगा । नियुक्ति के समय नियुक्ति पदाधिकारी / कर्मचारी से निम्नलिखित घोषणा पत्र लिया जायेगा :

घोषणा-पत्र

मैं .... पिता का नाम ....
पदनाम .... पता .... (जिसने अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु आवेदन दिया है) घोषणा करता / करती हूँ कि मैं मृत सेवक के आश्रित परिवार का भरण-पोषण करूँगी / करूँगा । मैं इस बात की भी घोषणा करता / करती हूँ कि मुझे इस बात की जानकारी है कि मृतक के आश्रित परिवार की देखभाल में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा मेरी सेवा बगैर सूचना के समाप्त कर दी जायेगी ।

दो निष्पक्ष गवाहों का हस्ताक्षर :- हस्ताक्षर -
नाम एवं पता :- नाम -
तिथि -

(ii) यह स्पष्ट किया जाता है कि अगर नियुक्त व्यक्ति द्वारा मृतक के आश्रित परिवार के भरण-पोषण में किसी प्रकार की त्रुटि की जाती है तो नियुक्त पदाधिकारी द्वारा कारण-पृच्छा प्राप्त कर उसकी सेवा समाप्त की जा सकेगी ।

(iii) गलत तथ्यों अथवा कागजातों के आधार पर प्राप्त की गई नौकरी के नौकरीधारी को बाद में किसी भी समय, एक कारण पृच्छा नोटिस देते हुए, बर्खास्त किया जा सकेगा ।

(ख) किसी भी स्थिति में नियुक्ति पदाधिकारी नियुक्ति पत्र हस्ताक्षरित किये जाने की शक्ति अधीनस्थ पदाधिकारी को प्रत्यायोजित नहीं कर सकेंगे ।

(ग) नियुक्ति पत्र निर्गत करने के समय साधारण नियुक्ति में आवेदक से जो घोषणा-पत्र लिये जाते हैं, यथा–दहेज नहीं लेना एवं नहीं देना, आदि वे सभी घोषणा-पत्र अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति में भी आवेदक से लिये जायेंगे ।

(8) किन पदों पर नियुक्ति की जा सकती है :-

(क) अबतक के निर्देश के अनुसार अनुकम्पा के आधार पर वर्ग-4 के अतिरिक्त वर्ग-3 के वैसे ही पदों पर नियुक्ति की जा सकती थी जिसपर नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग / बिहार राज्य अवर सेवा चयन पर्षद के माध्यम से नहीं होती हो ।

उपर्युक्त नियम को संशोधित करते हुए सरकार ने निर्णय लिया है कि निम्नलिखित पदों पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की जा सकती है :

(i) वर्ग 4 के सभी पद । (ii) 1200–1800 तक के वेतनमान के वर्ग - 3 के सभी पद ।

(9) **विशेष निदेश :-**

(क) अनुकम्पा के आधार पर किसी पद पर नियुक्ति होने पर पुनः उसे अनुकम्पा का दोबारा लाभ देते हुये उसकी प्रोन्नति अथवा संवर्ग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा ।

(ख) इस परिपत्र का कोई लाभ अबतक नियुक्त हो चुके किसी व्यक्ति को संवर्ग / पद परिवर्तन हेतु अनुमान्य नहीं होगा ।

(ग) अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों की नियुक्ति नियमित नियुक्ति मानी जायगी । नियुक्ति पदाधिकारी नियुक्त व्यक्ति को उसकी नियुक्ति के संवर्ग में अन्य सरकारी सेवकों की

[12]

पत्र संख्या-3/सी 2-60108/94-का० 2822

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री बी०के० श्रीवास्तव,

सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

सरकार के सभी विभागीय सचिव / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी ।

पटना-15, दिनांक 27 अप्रील, 1995

विषय :- सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों को वर्ग-3 एवं वर्ग-4 के पदों पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया में संशोधन ।

महाशय,

निदेशानुसार कहना है कि सेवा काल में सरकारी सेवकों की असामयिक मृत्यु के चलते उनके आश्रित परिवार के किसी एक सदस्य को राज्य सरकार के अन्तर्गत वर्ग-3 एवं वर्ग-4 के पदों पर नियुक्ति में प्राथमिकता देने हेतु आवश्यक आदेश कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र संख्या-12754 दिनांक 12-7-77, 11474 दिनांक 3-7-79, 6694 दिनांक 17-5-1980, 814 दिनांक 22-1-1981, 3211 दिनांक 12-1-84, 11946 दिनांक 30-11-84 तथा 13293 दिनांक 5-10-91 द्वारा निर्गत किये गये थे। इन परिपत्रों में विहित प्रक्रिया के बाद भी अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया प्रभावकारी नहीं हो सकी, जिसके चलते माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की गयी। माननीय पटना उच्च न्यायालय ने रिट याचिका 3974/1192, 12268/ 1992 एवं 12453/1993 में समेकित आदेश के द्वारा यह निदेश दिया है कि अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया ऐसी बनायी जाय, जिससे कि आवेदकों को मृत्यु की तिथि के प्राथमिकता के अनुसार किसी भी रिक्त पद पर नियुक्ति मिल सके ।

2 - ऊपर उल्लेखित रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय ने निम्नांकित निदेश दिया है :-

(क) सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के मृत सरकारी सेवक के आश्रित की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति पर विचार सचिवालय स्तर पर गठित एक समिति के द्वारा की जाय ।

(ख) जिला स्तर पर कार्यालयों के मृत सरकारी सेवक के आश्रितों की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के मामले में विचार जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित एक समिति के द्वारा हो ।

(ग) सचिवालय एवं संलग्न कार्यालय के मृत सरकारी सेवक के आश्रित उसी कार्यालय में आवेदन समर्पित करेंगे जहाँ उक्त सरकारी सेवक मृत्यु के समय पदस्थापित थे । यही प्रक्रिया जिला स्तर के मामले में भी लागू होगा ।

(घ) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग नोडल विभाग सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के मामले में होगा । इस स्तर पर गठित समिति अंतिम रूप से सभी प्राप्त आवेदकों की सूची मृत्यु की तिथि के आधार

पर वरीयतानुसार तैयार करेगी । तत्पश्चात् रिक्ति के अनुसार इस सूची से संबंधित विभागों को नियुक्ति के लिये आवेदक का नाम वरीयतानुसार यह समिति अग्रसारित करेगी । यही प्रक्रिया जिला स्तरीय समिति के द्वारा भी अपनायी जायेगी ।

(ङ) अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु आवेदन देने की जो समय-सीमा कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के दिनांक 5-10-1991 के परिपत्र से समाप्त कर दी गयी थी, उसके स्थान पर आवेदन देने के लिये अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की प्रकृति एवं अन्य आवेदकों के दावे को देखते हुए आवेदन देने की एक समय-सीमा राज्य सरकार निर्धारित करेगी ।

(च) माननीय न्यायालय ने विभिन्न स्तरों का अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु पैनेल की तैयारी हेतु भी मार्गदर्शन दिया है और यह निदेश दिया है कि राज्य सरकार इसके आधार पर वर्त्तमान परिपत्र को संशोधित कर परिपत्र आदेश के तीन माह के अन्दर निर्गत करे । अनुकम्पा के आधार पर सभी नियुक्तियाँ संशोधित परिपत्र के निर्गत होने के पश्चात् ही होगी और इसके विपरीत कोई भी नियुक्ति होती है तो न्यायालय की अवमानना समझी जायेगी ।

3 - माननीय पटना उच्च न्यायालय के उपुर्यक्त निर्देशों पर भलीभांति विचार करने के उपरान्त राज्य सरकार ने अनुकम्पा के आधार पर निर्गत परिपत्र सं०-13293 दिनांक 5-10-1991 में निम्नांकित आंशिक संशोधन करने का निर्णय लिया है :-

(क) सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति प्रदान करते हुए कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को नोडेल विभाग घोषित किया जाता है । आयुक्त एवं सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की अध्यक्षता में एक केन्द्रीय अनुकम्पा समिति गठित की जाती है, जिसमें निम्नांकित सदस्य होंगे :-

1- आयुक्त एवं सचिव, कार्मिक एवं प्र०सु० विभाग ।	अध्यक्ष ।
2- वित्त आयुक्त के द्वारा मनोनीत पदाधिकारी ।	सदस्य ।
3- सचिव, जल संसाधन विभाग	सदस्य ।
4- सचिव, पथ निर्माण विभाग	सदस्य ।
5- जिस विभाग का मामिला हो उस विभाग के सचिव ।	विशेष आमंत्रित सदस्य ।
6- अपर सचिव / संयुक्त सचिव (प्रभारी प्रशाखा-3) कार्मिक एवं प्र०सु० विभाग ।	सदस्य-सचिव ।

(ख) जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में पूर्व में गठित समिति के द्वारा जिला स्तर के विभिन्न कार्यालयों के मृत सरकारी सेवकों के अर्हता प्राप्त आश्रितों की नियुक्ति हेतु मृत्यु की तिथि के आधार पर प्राप्त आवेदन पत्रों की ही वरीयता सूची तैयार की जायेगी । रिक्ति के अनुसार संबंधित कार्यालयों को यह समिति नियुक्ति हेतु नाम अग्रसारित करेंगे ।

4- सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों तथा जिला स्तर पर गठित समिति की अनुशंसा के अनुसार ही अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति संबंधित विभागों के नियुक्ति पदाधिकारी के द्वारा की जायेगी ।

5- मृत सरकारी सेवक के आश्रित आवेदन उसी विभाग में देंगे जहाँ सरकारी सेवक अंतिम रूप से पदस्थापित थे । उक्त विभाग आवेदन को भलीभाँति प्रारम्भिक जाँच कर ऊपर गठित संबंधित समिति के नोडल पदाधिकारी को आवेदन अग्रसारित करेंगे ।

6- अनुकम्पा के आधार पर आश्रित के द्वारा नियुक्ति हेतु आवेदन-पत्र समर्पित करने की समय -सीमा मृत सरकारी सेवक की मृत्यु की तिथि से 5 वर्ष तक ही रहेगी ।

7 परिपत्र संख्या-13293 दिनांक 5-10-1991 के प्रावधान उपर्युक्त रूप से संशोधित समझा जाय और अन्य सभी प्रावधान पूर्ववत लागू रहेंगे ।

विश्वासभाजन,

ह०/- बी० के० श्रीवास्तव

सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञाप संख्या 3/सी 2-60108/94-का० 2822 पटना-15, दिनांक 27 अप्रील, 1995

प्रतिलिपि :- निबंधक, पटना उच्च न्यायालय, पटना / सचिव, बिहार विधान सभा सचिव, विधान परिषद् को सूचनार्थ प्रेषित । उनसे अनुरोध है कि वे उच्च न्यायालय एवं विधान मण्डल के अधीन वर्ग-3 एवं वर्ग-4 के पदों पर नियुक्ति हेतु इसी आशय का आदेश निर्गत करने पर विचार करें ।

ह०/- बी० के० श्रीवास्तव

सरकार के अपर सचिव ।

संचिका संख्या–22/अनु0–05/2014 सा0प्र0....................../

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

केशव कुमार सिंह,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी, वैशाली।
जिला पदाधिकारी, पू0 चम्पारण, मोतिहारी।
जिला पदाधिकारी, सुपौल।
जिला पदाधिकारी, गया।

पटना–15, दिनांक......................नवम्बर, 2014

विषयः– अनुकम्पा नियुक्ति के प्रसंग में याचित मार्गदर्शन।

प्रसंगः– जिला पदाधिकारी वैशाली का पत्रांक 646 दिनांक–30.07.2014 एवं पत्रांक 647 दिनांक–30.07.2014 .
जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी का पत्रांक 183 दिनांक–17.09.2014 .
जिला पदाधिकारी, सुपौल का पत्रांक 1148–2/ स्था0, दिनांक–10.09.2014 .
जिला पदाधिकारी, गया का पत्रांक XXI–1/ 14–1378 दिनांक–06.08.2014 .

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्रों के तहत याचित मार्गदर्शन निम्नानुसार देने का निदेश दिया गया है:–

जिज्ञासा	मार्गदर्शन
(क) मृत सरकारी कर्मी के आश्रितों में से किसी के नियोजित रहने की स्थिति में अन्य आश्रितों में से किसी को अनुकम्पा नियुक्ति का लाभ दिया जा सकता है अथवा नहीं ?	सामान्य प्रशासन विभाग से निर्गत पत्रांक–1781 दिनांक–10.05.2010 के तहत परिचारित माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–6668/2003 तथा सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–7044/2003 में पारित समेकित आदेश दिनांक–27.07. 2004 के आलोक में सेवाकाल में मृत सरकारी कर्मी के आश्रितों में से किसी के gainfully नियोजित होने की स्थिति में उसके अन्य आश्रितों के साथ रहने अन्यथा नहीं रहने के बावजूद अन्य आश्रितों में से किसी को अनुकम्पा नियुक्ति का लाभ अनुमान्य नहीं है। Gainfully नियोजित रहने से तात्पर्य ऐसे नियोजन से है जिससे मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों का भरण पोषण हो सके।
(ख) लापता सरकारी सेवकों के आश्रितों की अनुकम्पा नियुक्ति के संबंध में।	लापता सरकारी सेवकों के अश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की अनुमान्यता इस विभाग से निर्गत परिपत्र संख्या–7146 दिनांक–31.10.2008 के तहत की गई है।

(ग) अष्टम उत्तीर्ण महादलित सरकारी सेवकों के आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की अनुशंसा की जा सकती है अथवा नहीं ?	सेवाकाल में मृत महादलित सरकारी सेवकों के आश्रितों की शैक्षणिक योग्यता के संबंध में निर्णय इस विभाग से निर्गत परिपत्र संख्या–10073 दिनांक–18.12.2008 के आलोक में लिया जाना है।
(घ) नेपाल द्वारा निर्गत शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य प्रमाण पत्र तथा नेपाली नागरिक को अनुकम्पा नियुक्ति का लाभ दिये जाने के संबंध में।	नेपाली नागरिक को सरकारी सेवा में नियुक्ति की अनुमान्यता नियुक्ति विभाग (सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग) से निर्गत प्ररिपत्र संख्या 7312 दिनांक–30.05.1966 की कंडिका 03 के आलोक में की गई है। नेपाल द्वारा निर्गत शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाणपत्रों का सत्यापन नेपाल के संबंधित संस्थाओं से तथा नेपाल द्वारा निर्गत शैक्षणिक प्रमाणपत्रों की अनुमान्यता की सम्पुष्टि शिक्षा विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त की जा सकती है।
(ड़) अनुकम्पा के आधार पर चौकीदार / दफादार के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक योग्यता के संबंध में।	चौकीदार / दफादार का पद समूह 'घ' का पद है अतः उनकी शैक्षणिक योग्यता के संबंध में निर्णय बिहार समूह 'घ' (भर्ती एवं सेवा शर्तें) संशोधन नियमावली, 2012 के आलोक में लिया जाना है। चूँकि, चौकीदार / दफादार का प्रशासी विभाग गृह (आरक्षी) विभाग है, अतः इस संबंध में मार्गदर्शन उक्त विभाग से प्राप्त की जा सकती है।

नोटः– सामान्य प्रशासन विभाग से निर्गत सभी संकल्पों / परिपत्रों / अनुदेशों की प्रतियाँ इस विभाग के वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है।

विश्वासभाजन

ह0 / –

(केशव कुमार सिंह,)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांकः–22 / अनु0–05 / 2014 सा0प्र0 15783 / पटना–15, दिनांक 19.11.2014

प्रतिलिपिः– सरकार के सभी विभाग / विभागाध्यक्ष / प्रमंडलीय आयुक्त तथा सभी जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/11/2014

सरकार के अपर सचिव।

पत्रांक–22/अनु0–05/2012 सा0प्र0...14157.../
बिहार सरकार
<u>सामान्य प्रशासन विभाग</u>

प्रेषक,

राजेन्द्र राम,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी विभाग,
सभी विभागाध्यक्ष,
सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी।

पटना–15, दिनांक–09.11.2017

विषयः– **सेवाकाल में मृत सरकारी सेवक की सधवा पुत्रवधू (पुत्र की सधवा पत्नी) को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु आश्रितों की श्रेणी में रखने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के प्रसंग में निदेशानुसार कहना है कि इस विभाग के ज्ञापांक–13293 दिनांक–05.10.1991 की कंडिका (1)(ग) के तहत अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु आश्रितों को परिभाषित किया गया है जिसमें मृत सरकारी सेवक की पत्नी, पुत्र, अविवाहित पुत्री एवं पुत्र की विधवा पत्नी को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु आश्रित माना गया है। इसके पश्चात् पत्रांक–512 दिनांक–12.05.2005 के तहत कुछ शर्त्तों के अधीन दत्तक पुत्र एवं दत्तक अविवाहित पुत्री को आश्रित की श्रेणी में रखने का निर्णय लेते हुए ज्ञापांक–13293 दिनांक–05.10.1991 को इस हद तक संशोधित किया गया है। पत्रांक–7146 दिनांक–31.10.2008 के तहत यह निर्णय भी संसूचित है कि अविवाहित मृत सरकारी सेवक के मामले में उसकी विधवा माँ, छोटा भाई एवं अविवाहित छोटी बहन को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु आश्रित माना जायेगा। तदुपरान्त पत्रांक–1699 दिनांक–05.05.2010 द्वारा इस शर्त्त के साथ मृत सरकारी सेवक की तलाकशुदा/ परित्यक्ता पुत्री को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजनार्थ आश्रित माना गया है कि तलाक/विवाह का विघटन सक्षम न्यायालय द्वारा स्वीकृत हो और मृत सरकारी सेवक के परिवार में विधवा पत्नी के अतिरिक्त वह एक मात्र आश्रित हो। पुनः परिपत्र सं0–16973 दिनांक–10.12.2014 द्वारा मृत सरकारी सेवक की संतान के रूप में मात्र पुत्रियों के होने की स्थिति में विवाहिता पुत्री को भी अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजनार्थ आश्रित की श्रेणी में लाया गया है बशर्त्ते की मृत सरकारी सेवक के परिवार में उनकी पत्नी अथवा पति के अतिरिक्त अन्य कोई आश्रित न हो।

2. विचार के क्रम में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति से संबंधित ऐसे मामले भी दृष्टिगत हुए हैं जिनमें विभिन्न परिपत्रों द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति हेतु अभी तक घोषित आश्रितों में से कोई भी आश्रित शारीरिक/मानसिक रूप से सक्षम अथवा सरकारी सेवा में नियोजन के योग्य नहीं होते हैं, उस परिवार में मृत सरकारी सेवक की केवल सधवा पुत्रवधू (पुत्र की सधवा पत्नी) ही अनुकम्पा नियुक्ति के योग्य पाये जाते हैं। किन्तु, सधवा पुत्रवधू को अनुकम्पा नियुक्ति हेतु आश्रित की श्रेणी में नहीं रखा गया है। ऐसी स्थिति में मृत सरकारी सेवक के किसी भी आश्रित को अनुकम्पा नियुक्ति का लाभ संभव नहीं हो पाने से उसके परिवार के

समक्ष आश्रित के भरण–पोषण की समस्या उत्पन्न हो जाती है। अनुकम्पा नियुक्ति की नीति का मूल उद्देश्य ही सरकारी सेवक की सेवाकाल में हुई असामयिक मृत्यु के कारण उसके आश्रितों/परिवार के समक्ष उत्पन्न भरण–पोषण की समस्या का निराकरण करना तथा तत्समय उत्पन्न आर्थिक तंगी से बचाना है। अतएव सधवा पुत्रवधू को भी सेवाकाल में मृत सरकारी सेवक का आश्रित माने जाने का विषय सरकार के समक्ष विचाराधीन था। इस संबंध में विधिक परामर्श भी प्राप्त किया गया जिसमें उपरोक्त वर्णित परिस्थिति में मृत सरकारी सेवक की सधवा पुत्रवधू को भी आश्रितों की श्रेणी में रखना अपेक्षित बताया गया है।

3. अतः उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में विधिक परामर्श के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि मृत सरकारी सेवक की सधवा पुत्रवधू (पुत्र की सधवा पत्नी) को भी अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजनार्थ आश्रित माना जायेगा, **बशर्त्ते मृत सरकारी सेवक के परिवार में उनकी पत्नी के अतिरिक्त अन्य कोई आश्रित शारीरिक/मानसिक रूप से सक्षम अथवा नियोजन के योग्य न हो।**

4. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के ज्ञापांक–13293 दिनांक–05.10.1991 की कंडिका–1 (ग) को उपर्युक्त हद तक तदनुसार संशोधित समझा जाये।

विश्वासभाजन

9/11/17

(राजेन्द्र राम)

सरकार के अपर सचिव

पत्रांक–22/सी0–09/2016 सा0प्र0–11959/
बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

राजेन्द्र राम,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव,
सभी प्रधान सचिव,
सभी सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष,
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी।

पटना–15, दिनांक 30 अगस्त 2019.

विषयः – **अनुकम्पा नियुक्ति मामलों में नाबालिग आश्रित द्वारा नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र समर्पित करने की समय–सीमा में वृद्धि के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार अनुकम्पा के आधार पर आश्रित के द्वारा नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र समर्पित करने की समय–सीमा के संबंध में राज्य सरकार के परिपत्र सं0–2822 दिनांक–27.04.1995 की कंडिका–06 में निम्नलिखित प्रावधान है :–

6–अनुकम्पा के आधार पर आश्रित के द्वारा नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र समर्पित करने की समय–सीमा मृत सरकारी सेवक की मृत्यु की तिथि से 5 वर्ष तक ही रहेगी।

2. माननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–4786/2016 आशीष कुमार गुप्ता–बनाम–बिहार राज्य एवं अन्य तथा सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–4965/2016 राहुल मोदक–बनाम–बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक–18.08.2018 को पारित समेकित न्यायादेश में निम्नांकित अभिमत व्यक्त किया गया है :–

"In the aforesaid view of the matter, no error can be found in the decisions impugned in the two writ petitions. However, while upholding such decision, this Court would definitely ask the state to again address itself on the issue for bringing about appropriate amendment in the Rules governing the scheme of compassionate appointment especially where children of government employees are orphaned at a very tender age. In fact, it is perhaps catering to such situation that the scheme originally framed on 05-10-1991 did not stipulate any period for such application, which has been introduced vide amendment on 27-4-1995.

Considering that the claim of compassionate appointment is more in the nature of a social welfare measure, the respondent State through the Chief Secretary, the Social Welfare Department and the General Administration Department may well ponder over the necessity of appropriate amendment in the Rules governing the compassionate appointment for protecting the interest of minor dependants on the lines of the stipulation present in Rule 5 of the Karnataka Civil Services (Appointment on Compassionate Grounds) Rules, 1996 which while prescribing a limitation period for filing such application by adult dependants, also regulates the case of present kind where the minor

E.drive.bangali.m.special.Anu.circular.praroop

children of government employees are left to face the world by the death of the parents at an early age."

3. उपर्युक्त न्यायिक अभिमत में संदर्भित Karnataka Civil Service (Appointment on Compassionate Grounds) Rules, 1996 के नियम 5 का परन्तुक निम्नवत् है:–

" 5. Every dependant of a deceased government servant, seeking appointment under these Rules shall make an application within one year from the date of death of the government servant, in such form, as many be notified by the Government, from time to time, to the Head of the Department under whom the deceased government servant was working.

"<u>Provided that in the case of a minor, application shall be made within a period of one year after attaining majority.</u>"

4. माननीय न्यायालय द्वारा उपर्युक्त मामले में दिनांक–18.08.2018 को पारित न्यायादेश में अंकित अभिमत के आलोक में Karnataka Civil Service (Appointment on Compassionate Grounds) Rules, 1996 के नियम 5 का संदर्भ लेते हुए बिहार सरकार के परिपत्र सं0–2822 दिनांक–27.04.1995 की कंडिका–06 में उल्लिखित अनुकम्पा मामलों में नाबालिग आश्रित द्वारा नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र समर्पित करने की समय–सीमा में वृद्धि पर मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा विचार किया गया।

5. सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि अनुकम्पा के आधार पर आश्रित के द्वारा नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र समर्पित करने की समय–सीमा के संबंध में राज्य सरकार के परिपत्र सं0–2822 दिनांक–27.04.1995 की कंडिका–06 में निम्नांकित परन्तुक जोड़ा जाय :–

"परन्तु यह कि मृत सरकारी सेवक के आश्रित के नाबालिग होने की स्थिति में यदि आश्रित के माता पिता दोनो जीवित नहीं हों, अथवा उसके जीवित माता या पिता (चाहे जैसी भी स्थिति हो) के द्वारा सरकारी सेवक की मृत्यु के समय सरकारी सेवा की अर्हता नहीं धारण की जाती हो तो नाबालिग आश्रित को बालिग होने के एक वर्ष के अन्दर अनुकम्पा नियोजन हेतु दावा प्रस्तुत करना अनुमान्य होगा।"

6. Indian Majority Act 1875 के Section- 3 (1) के अनुसार भारत में अधिवासित प्रत्येक व्यक्ति 18 वर्ष की उम्र के पहले नहीं बल्कि 18 वर्ष की उम्र पूरी होने पर बालिग होगा।

7. उपर्युक्त के आलोक में अनुकम्पा के आधार पर आश्रित के द्वारा नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र समर्पित करने की समय–सीमा के संबंध में राज्य सरकार के परिपत्र सं0–2822 दिनांक–27.04.1995 की कंडिका–06 में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाने का प्रस्ताव है :–

"परन्तु यह कि मृत सरकारी सेवक के आश्रित के नाबालिग होने की स्थिति में यदि आश्रित के माता पिता दोनो जीवित नहीं हों, अथवा उसके जीवित माता या पिता (चाहे जैसी भी स्थिति हो) के द्वारा सरकारी सेवक की मृत्यु के समय सरकारी सेवा की अर्हता नहीं धारण की जाती हो तो नाबालिग आश्रित को बालिग होने के एक वर्ष के अन्दर अनुकम्पा नियोजन हेतु दावा प्रस्तुत करना अनुमान्य होगा।"

विश्वासभाजन

(राजेन्द्र राम) 2/8/19

सरकार के अपर सचिव।

E.drive.bangali.m.special.Anu.circular.praroop

पत्रांक –22/अनु०–01/2017सा0प्र0................./

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

जगदीश कुमार
सरकार के उप सचिव

सेवा में,

सभी विभाग
सभी विभागाध्यक्ष
पुलिस महानिदेशक
सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी

पटना, दिनांक 2021

विषय–लापता सरकारी सेवकों के आश्रितों की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की अनुमान्यता के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विचाराधीन विषय के संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0सं0–589/2019 में दिनांक–19.09.2019 को पारित आदेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है–

"The case of the petitioner is squarely covered by the aforesaid decision. In the instant case also the wife of the deceased employee had diligently made application in January 2013 itself. Since the employee became traceless on 24.9.2005 the presumption of civil death would have arisen only after seven years, i.e. in September 2012. For compassionate appointment in such cases, the legal heir/dependent would be elegible only after declaration of civil death. Only when the seven years period under Section 108 of the Evidence Act lapses the legal heir or dependent would become elegible for claiming compassionate appointment. Therefore date with effect from which employee has become traceless is not relevant.

In the circumstances the claim made by the petitioner's mother cannot be said to be belated or delayed in any respect. The authorities are required to consider claim of the petitioner as per admissibility/elegibility on all other grounds. The authorities cannot deny the petitioner consideration on the ground that the application has been made more than five years after the employee became traceless.

District Compassionate Committee should proceed to consider claim of the petitioner having regard to all other requisites for grant of compassionate appointment in accordance with the procedure and scheme for compassionate appointment. Let final decision be taken by the District Compassionate Committee, Aurangabad (respondent No. 9) within a period of eight weeks from the date of receipt/production of a copy of this order.

In view of decision in the case of Kundan Kumar (supra) taken note of hereinabove this Court would observe that to avoid such delay and consideration in such matters arising out of civil death authorities may consider the desirability of issuing appropriate guidelines in this regard from the General Administration Department to the various compassionate appointment committees in light of decision in the case of Kundan Kumar (supra). Such an observation is being recorded so that claim for compassionate appointment can be considered compassionately and without going through unnecessary delay in seeking guidance individually. These observations are not to be treated as directions and are subject to exercise of discretion by the State Government in this regard.

Writ petition is allowed."

2. उपर्युक्त न्यायादेश में माननीय न्यायालय का मानना है कि जब किसी लापता व्यक्ति के मृत्यु की सम्पुष्टि उसके लापता होने के सात वर्ष के बाद होती है, तब मृत्यु की सम्पुष्टि होने के पूर्व ही उसके आश्रित से अनुकम्पा नियुक्ति के लिए आवेदन समर्पित करने की अपेक्षा न्यायसम्मत् नहीं है। इस आधार पर न्यायालय द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग से विचाराधीन विषय के संदर्भ में नया मार्गदर्शन निर्गत किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

3. उपर्युक्त संदर्भ में वस्तुस्थिति यह है कि लापता कर्मियों सहित अनुकम्पा संबंधी किसी मामले में अब तक पाँच वर्षों के अन्दर ही आवेदन देने संबंधी मार्गदर्शन विभागीय पत्रांक–9990 दिनांक–04.08.2017 द्वारा निर्गत है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि भले ही लापता कर्मियों के संदर्भ में परिजनों के 02 वर्ष के पश्चात् अनुकम्पा नियुक्ति हेतु आवेदन देने का प्रावधान किया गया है, परन्तु भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा–108 में अभी भी लापता व्यक्तियों के कानूनी रूप से मृत घोषित किये जाने हेतु निर्धारित समय अवधि 07 वर्ष ही है। वर्णित स्थिति में सम्प्रति प्रवृत्त प्रावधानों के आलोक में लापता कर्मियों के मृत्यु की पुष्टि उनके लापता होने के 07 वर्ष के बाद ही हो सकेगी, फलतः 07 वर्ष के पूर्व मृत्यु की सम्पुष्टि के अभाव में उनके परिजनों द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति हेतु आवेदन समर्पित किये जाने पर भी ऐसे मामलों में किसी प्राधिकार द्वारा निर्णय लेने में कठिनाई है।

4. यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या–11959 दिनांक–30.08.2019 द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति के मामलों में नाबालिग आश्रित द्वारा नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र समर्पित करने की समय सीमा निम्नवत् पुनर्निधारित की गयी है–

> "परन्तु यह कि मृत सरकारी सेवक के आश्रित के नाबालिग होने की स्थिति में यदि आश्रित के माता पिता, दोनों जीवित नहीं हों, अथवा उसके जीवित माता या पिता (चाहे जैसी भी स्थिति हो) के द्वारा सरकारी सेवक की मृत्यु के समय सरकारी सेवा की अर्हता नहीं धारण की जाती हो को नाबालिग आश्रित को बालिग होने के 01 वर्ष के अन्दर अनुकम्पा नियुक्ति हेतु दावा प्रस्तुत करना अनुमान्य होगा।"

5. उक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त लापता सरकारी सेवक के आश्रित को अनुकम्पा नियुक्ति हेतु आवेदन समर्पित करने के संदर्भ में पूर्व में निर्गत सभी प्रावधानों को अवक्रमित करते हुए निम्नवत् नीतिगत निर्णय संसूचित किया जाता है–

> "(i) लापता सरकारी सेवक के आश्रित द्वारा उसके लापता होने की तिथि से 07 वर्ष की समाप्ति अथवा सक्षम प्राधिकार द्वारा उसे मृत घोषित किये जाने, जो भी बाद में हो, से अगले 05 वर्ष तक अनुकम्पा नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र समर्पित किया जा सकेगा तथा सक्षम प्राधिकार द्वारा नियमानुसार ऐसे मामलों पर विचार किया जा सकेगा। ऐसे मामलों में

भी उपर्युक्त कंडिका–4 में वर्णित परिपत्र संख्या–11959 दिनांक–30.08.2019 के प्रावधान का लाभ अनुमान्य होगा।

6. अतः अनुरोध है कि लापता सरकारी सेवकों के आश्रित की अनुकम्पा नियुक्ति के मामलों पर विचार के क्रम में तदनुसार समुचित निर्णय लिया जाय तथा अपने अधीनस्थों को भी इससे अवगत कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

ह0/–
(जगदीश कुमार)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–22/अनु०–01/2017सा0प्र0 5014 / पटना–15, दिनांक 16–4–21

प्रतिलिपि–(1) सभी प्रशाखा पदाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

16/4/21

सरकार के उप सचिव

D:/sec-3/Ajit Kumar and Manju kumari
3-M-2019 Page 29

पत्रांक–22/अनु0–01/2017 सा0प्र0–13573/

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

चंचल कुमार,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी सरकारी विभाग,
सभी विभागाध्यक्ष,
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी।

पटना–15, दिनांक 18.11.2021.

विषय – मृत सरकारी सेवक के पति/पत्नी में से किसी एक के पेंशनर होने की स्थिति में उनके आश्रित को अनुकम्पा नियुक्ति के लाभ की देयता के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक–13293 दिनांक–05.10.1991 द्वारा सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों को वर्ग–03 एवं 04 के पदों पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है। उक्त परिपत्र की कंडिका– (1)(ड.) का प्रावधान निम्नवत् है:–

(ड.) यदि पति–पत्नी दोनों सरकारी सेवा में हो और किसी एक की मृत्यु हो जाए तो वैसी स्थिति में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति का लाभ उनके परिवार के किसी आश्रित को नहीं मिलेगा।

2. सम्प्रति अनुकम्पा नियुक्ति के कतिपय ऐसे रेफरेन्स सामान्य प्रशासन विभाग में आये जिसमें मृत सरकारी सेवक के पति/पत्नी में से किसी एक के पेंशनर होने की स्थिति में दूसरे की सेवाकाल में मृत्यु होने पर उनके आश्रित को अनुकम्पा नियुक्ति का लाभ देय होगा या नहीं, इस बिन्दु पर सामान्य प्रशासन विभाग से मार्गदर्शन की अपेक्षा की गयी।

3. तदक्रम में उपर्युक्त मामले पर विधिक परामर्श प्राप्त किया गया। इस संबंध में विद्वान महाधिवक्ता का मंतव्य/परामर्श निम्नवत् प्राप्त है :–

As per the policy decision of the State Government contained in Memo No-13293 dated-05.10.1991 in terms of clause 1(ड.) thereof dependents of such deceased Government Servant whose spouse is also in Government service would not be eligible for compassionate appointment.

In the case at hand, the spouse of the deceased Government servant was not in service at the time of her death as he had superannuated.

In my view, since a retired person cannot be deemed to be in service, the restriction of clause 1(ड.) would not apply and any eligible dependent of the deceased Government servant may be considered for compassionate appointment.

4. अतः उपर्युक्त विधिक परामर्श के आलोक में मृत सरकारी सेवक के पति/पत्नी (जैसी भी स्थिति हो) के पेंशनर होने की स्थिति में भी उसके आश्रित को अनुकम्पा नियुक्ति का लाभ देय होगा, यदि उक्त आश्रित के द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति की अन्य अर्हतायें पूरी की जाती हो।

विश्वासभाजन

15/11/21

(चंचल कुमार)

सरकार के प्रधान सचिव।

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
(आदेश)

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अंतर्गत कार्यप्रणाली को सुदृढ़ करने हेतु निम्नलिखित निदेश दिये जाते हैं :—

1. माननीय न्यायालय से संबंधित मामले :—

(i) माननीय उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय/न्यायाधिकरण से संबंधित सभी मामलों को सहायकवार एवं प्रशाखावार सूचीबद्ध किया जाए।

(ii) इन सभी मामलों में प्रतिशपथ पत्र दायर किया गया है अथवा नहीं जाँच लें यदि नहीं किया गया हो तो एक सप्ताह के अंदर प्रतिशपथ पत्र दायर कर विभागीय एवं प्रशाखा की पाक्षिक बैठक में उपस्थापित किया जाए।

(iii) इन मामलों से संबंधित सरकारी अधिवक्ताओं से संपर्क स्थापित कर आवश्यक दस्तावेज एवं सामग्री उन्हें उपलब्ध करा दें एवं उनके साथ विषयवस्तु से विमर्श कर सरकार के पक्ष को अच्छे ढंग से प्रस्तुत करने हेतु अनुरोध किया जाए।

(iv) प्रतिशपथ पत्र में अंकित तथ्यों की समीक्षा कर ली जाए एवं यह सुनिश्चित हो लें कि अंकित तथ्य सही है एवं सरकार के पक्ष को समुचित रूप में रखा जाए।

(v) यदि किसी वाद में आदेश पारित हुआ हो तो पारित आदेश का अध्ययन कर उस वाद में यदि अपील, Revision या Modification दायर करने की आवश्यकता हो तो सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया जाए। यदि संभव नहीं हो तो अविलंब आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(vi) न्यायिक मामलों से संबंधित सभी संचिकाओं को यथाशीघ्र अध्ययन कर संचिका वरीय पदाधिकारी के समक्ष अवलोकनार्थ उपस्थापित किया जाए। यदि उस संचिका में कार्रवाई की आवश्यकता हो तो प्रधान सचिव के समक्ष एक सप्ताह के अंदर उपस्थापित करना सुनिश्चित करें।

(vii) न्यायिक मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए एवं इसके लिए संबंधित सहायक, प्रशाखा पदाधिकारी एवं वरीय पदाधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।

2. क्रियाशील संचिका का अध्ययन कर अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रस्तुत करना :—

(i) सभी सहायक अपने प्रभार के सभी संचिकाओं को एक कार्य योजना के अनुरूप अध्ययन कर सुस्पष्ट टिप्पणी संचिका में अंकित करें जिससे विषयवस्तु स्पष्ट हो जाए।

(ii) उदाहरणस्वरूप किसी सहायक के प्रभार में एक सौ संचिकायें हैं, सामान्य प्रकृति की संचिकाओं को कम समय में अधिक संचिका का अध्ययन कर सकते हैं और जटिल संचिकाओं के लिए अधिक समय लग सकता है। इसके लिए एक कार्य योजना तैयार करें और एक महीने के अंदर सभी संचिकाओं को अध्ययन करना सुनिश्चित करें।

(iii) प्रत्येक पाक्षिक बैठक में प्रत्येक सहायक द्वारा कितनी संचिकाओं का अध्ययन कर अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रस्तुत किया गया एवं सुस्पष्ट टिप्पणी तैयार किया गया, इसका प्रतिवेदन समर्पित करेंगे।

(iv) सामान्य प्रकृति की संचिका को, जिसमें कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है, वरीय प्रभारी के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत करेंगे तथा जिन सचिकाओं में प्रधान सचिव के स्तर से कार्रवाई/मार्गदर्शन की आवश्यकता हो, अविलंब उपस्थापित करना सुनिश्चित करें।

(v) किसी भी परिस्थिति में संचिका लंबित नहीं रहना चाहिए एवं लगातार सहायक द्वारा अध्ययन करना चाहिए ताकि विषयवस्तु की जानकारी हो जाए जिससे अपेक्षित कार्रवाई करने में आसानी होगी।

3. **सहायकवार लंबित पत्रों का प्रतिवेदन प्रधान सचिव के समक्ष प्रस्तुत करना :–**

साप्ताहिक/पाक्षिक प्रशाखावार समीक्षा में सहायकवार निर्धारित विहित प्रपत्र में लंबित पत्रों का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए एवं लंबित पत्रों के प्रतिवेदन को समेकित कर संचिका में प्रधान सचिव के समक्ष अवलोकनार्थ उपस्थापित किया जाए। यदि कोई विशेष तथ्य उल्लेख करना हो तो वरीय पदाधिकारी द्वारा इसको अंकित किया जाएगा एवं लंबित पत्रों के निष्पादन हेतु आवश्यक निदेश दिया जाएगा।

4. **निरीक्षण :–**

(i) **पटल निरीक्षण :–** अवर सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी द्वारा प्रत्येक सप्ताह एक सहायक का पटल निरीक्षण करना सुनिश्चित करें एवं पटल निरीक्षण का प्रतिवेदन प्रधान सचिव के समक्ष उपस्थापित किया जाए।

(ii) **प्रशाखा निरीक्षण :–** प्रशाखा निरीक्षण वरीय पदाधिकारी/प्रधान सचिव द्वारा किया जाएगा। निरीक्षण में मुख्यतः लंबित पत्रों की स्थिति, क्रम पुस्तिकाओं का संधारण, संचिका का रख–रखाव की स्थिति, टिप्पणी एवं प्रारूपण की स्थिति, साफ–सफाई इत्यादि पर ध्यान दिया जाएगा। निरीक्षण के लिए विभिन्न प्रशाखाओं का एक कार्य योजना तैयार किया जाए।

5. **रेडी रेकनर (Ready Reckoner) :–**

(i) बैठक में दिये गये निदेशानुसार सभी प्रशाखा रेडी रेकनर तैयार करना सुनिश्चित करें एवं प्रधान सचिव के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करें।

(ii) प्रशाखा की सभी वांछित सूचनायें एकत्रित किया जाएगा जो कार्य संपादन में सहायक एवं सुलभ रहेगा। सभी प्रशाखा के कार्य से संबंधित नियम, परिपत्र, जाँच पत्र एवं प्रशाखा द्वारा की जाने वाली कार्य की विवरणी, निष्पादन की अधिकतम समय–सीमा इत्यादि अंकित किया जाएगा। यह कार्य दस दिनों के अंदर कराना सुनिश्चित करेंगे।

6. **प्रशाखा की उपलब्धि :—**

(i) दिनांक—01.04.2022 से लेकर विगत बैठक तक की उपलब्धि का सूची बनाकर बैठक में उपस्थापित की जाए।

(ii) विगत बैठक से अद्यतन उपलब्धि का उल्लेख कर बैठक में उपस्थापित करना सुनिश्चित करें।

(iii) इस उपलब्धि का उल्लेख करने से वार्षिक गोपनीय अभ्युक्ति अंकित करने में आसानी होगी एवं संबंधित सहायक, प्रशाखा पदाधिकारी एवं वरीय पदाधिकारी को भी प्रशाखावार उपलब्धि का आकलन करने में आसानी होगी।

7. **अक्रियाशील संचिकाओं को अभिलेखागार में हस्तांतरित करना :—**

(i) सभी अक्रियाशील संचिकाओं की सूची तैयार कर अभिलेखागार के आवंटित रैक में वर्षवार, विषयवार संचिकाओं को रखना सुनिश्चित किया जाए।

(ii) अक्रियाशील संचिकाओं की सूची को हार्ड कॉपी एवं साफ्ट कॉपी में अभिलेखागार के प्रभारी सहायक या प्रशाखा पदाधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। इससे संबंधित शाखा की कोई भी संचिका आसानी से प्राप्त हो जाएगा।

8. **किसी प्रशाखा में विविध नाम से कोई संचिका नहीं खोला जाएगा :—**

(i) विविध संचिका में महत्वपूर्ण विषयों का पत्राचार संधारित होता है जिसके कारण कभी—कभी महत्वपूर्ण पत्र खोजने में कठिनाई होती है।

(ii) यदि पहले से विविध संचिका खोली गयी हो उसका अध्ययन कर वरीय पदाधिकारी से संपर्क कर विषयवार अलग से संचिका संधारित करना सुनिश्चित करें।

9. **सूचना का अधिकार, सी0एम0 डैशबोर्ड, CPGRAM से संबंधित प्रतिवेदन प्रशाखा—25 को ससमय उपलब्ध कराना :—**

(i) सूचना का अधिकार, CPGRAM, सी0एम0 डैशबोर्ड से संबंधित सभी मामलों को समय—सीमा के अंदर निष्पादित कर प्रतिवेदन प्रशाखा—25 को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

10. **बायोमैट्रिक उपस्थिति :—**

(i) सभी प्रशाखा पदाधिकारी, सहायक, कार्यालय परिचारी एवं अन्य कर्मी ससमय बायोमैट्रिक उपस्थिति दर्ज करना सुनिश्चित करें।

(ii) आई0टी0 मैनेजर पाक्षिक बैठक में प्रशाखावार सहायकों की उपस्थिति का प्रतिवेदन उपस्थापित करेंगे।

(iii) कार्यालय आने—जाने के निर्धारित समय का पालन करें।

Rajendra 24.11.2022

(डॉ० बी० राजेन्दर)
प्रधान सचिव
सामान्य प्रशासन विभाग

ज्ञापांक– 75 /प्र0स0को0 पटना, दिनांक– 24 नवंबर, 2022

प्रतिलिपि :– 1. मुख्य सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ।

2. सभी वरीय पदाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग/सभी कनीय पदाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग/सभी सहायक, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

BRajender 24.11.2022

(डॉ० बी० राजेन्दर)
प्रधान सचिव
सामान्य प्रशासन विभाग